HARYANA VIDHAN SABHA

COMMITTEE ON PETITIONS

(2025-2026)

(FOURTEENTH REPORT)

REPORT

on

Various Petitions received by the Committee

(Presented to the House on March, 2026)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT
CHANDIGARH
2026

TABLE OF CONTENTS

Sr. No.	Petition Received from	Page No.
	Composition of Committee on Petitions	iii
	Introduction	v
1.	Shri Prem Chand Jain S/o Shri Jogi Ram Jain, H.No. 101, Nand Vihar Colony, Jatel Road, Panipat.	1-2
2.	Shri Tarun Sethi S/o Shri Sanjeev Sethi resident of H.No. 1370, Azad nagar, Street No. 6, Yamunanagar.	3-10
3.	Shri Shyamlal Rawal, Ex. Sarpanch Village Ujha Tehsil Bapoli District Panipat.	10-17
4.	Shri Jagat Singh S/o Late Shri Inder Singh Village Bahrana District Jhajjar.	17-19
5.	Shri Satbir Singh, Village Phaladgarh District Bhiwani & others.	20-24
6.	Shri Devendra Kumar Parashar, Retd. Principal, H.No. 967-A, Model Colony, Yamunanagr.	24-29
7.	Shri Sandeep Singh, retired ASI, 299/YNR, Village Ban, District Kurukshetra.	29-41

COMPOSITION OF THE COMMITTEE ON PETITIONS
(2025-2026)

CHAIRPERSON

1. Shri Ghanshyam Dass, MLA

MEMBERS

2. Smt. Geeta Bhukkal , MLA
3. Smt. Shakuntla Khatak, MLA
4. Shri Paramvir Singh, MLA
5. Shri Bhagwan Dass, MLA
6. Shri Laxman Singh Yadav, MLA
7. Shri Tejpal Tanwar, MLA
8. Shri Harinder Singh, MLA
9. Shri Aditya Devilal, MLA

SPECIAL INVITEE

*10. Shri Mohammed Israil, MLA

*11. Shri Vikas Saharan, MLA

*Vide Notification No. HVS/Petitions/1/2025-26/49, dated 9th June, 2025 Hon'ble Speaker have been pleased to nominate Shri Mohammed Israil, MLA and Shri Vikas Saharan, MLA to serve the Committee on Petitions as a Special Invitees for the remaining period of the 2025-26.

SECRETARIAT

1. Shri Rajiv Prashad, Secretary.
2. Shri Pushpender Hooda, Under Secretary.

INTRODUCTION

1. I, Ghanshyam Dass, Chairperson of the Committee on Petitions having been authorized by the Committee in this behalf, present this Fourteenth Report of the Committee on Petitions on the various Petitions received by the Committee.

2. The Committee considered all the Petitions as per the details given in the Report and examined the concerned department. The Committee made its observations and has tried its level best to redress the grievances of the Petitioners to the maximum extent.

3. The Committee considered and approved this report at their sitting held on 20th February, 2026.

4. A Brief record of the proceedings of the meetings of the Committee has been kept in the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.

5. The Committee would like to express their thanks to the Government Officers and other representatives of various departments who appeared for oral evidence before them for the cooperation in giving information to the Committee.

6. The Committee is also thankful to the Secretary and other Officer / Officials of Haryana Vidhan Sabha Secretariat for their whole hearted cooperation and assistance given by them to the Committee.

Chandigarh (**Ghanshyam Dass)**

The 20th February, 2026 **CHAIRPERSON**

REPORT

The Committee on Petitions for the year 2025-26 consisting of nine members were nominated by the Hon'ble Speaker, Haryana Vidhan Sabha on 29th April, 2025 under Rule 268 of the of the Rules of Procedure & Conduct of Business in Haryana Legislative Assembly. Shri Ghanshyam Dass, MLA was nominated as Chairperson of the Committee by the Hon'ble Speaker. Two special invitees were also nominated by the Hon'ble Speaker to serve on this Committee.

The Committee held 47 sittings during the year 2025-26 (till finalization of the Report).

1. PETITION/REPRESENTATION RECEIVED FROM SHRI PREM CHAND JAIN S/O SHRI JOGI RAM JAIN, H. NO. 101, NAND VIHAR COLONY, JATEL ROAD, PANIPAT. REGARDING OLD AGE PENSION WHICH READS AS UNDER: -

सेवा में,

सभापति,
याचिका समिति हरियाणा विधानसभा।
चण्डीगढ़।

विषयः– बुढ़ापा पेंशन दिलवाने बारे।

श्रीमान जी,

निवेदन यह है कि मैं प्रेम चन्द जैन पुत्र श्री जोगी राम जैन निवासी मकान नंम्बर 101, नन्दविहार कालोनी जाटल रोड़, पानीपत का निवासी हुं। मैंने बुढ़ापा पेंशन के लिए दिंनाक 14.02.2020 को आवेदन किया था और विभाग के काफी चक्कर लगाने के बाद दिंनाक 27.07.2020 को मुझे बुढ़ापा पेंशन मिलने लगी जिसका आई0डी0 नंम्बर 6845486 हैं। और विभाग द्वारा दिंनाक 27.01.2021 को बिना किसी ठोस कारण के ही मेरी बुढ़ापा पेंशन काट दी गई और साथ ही मेरे ऊपर रिकवरी भी डाल दी। कृप्या करके मेरी बुढ़ापा पेंशन दोबारा बकाया राशि सहित दिलवाने का कष्ट करें।

धन्यवाद।

भवदीय
हस्ता
प्रेम चन्द जैन पुत्र श्री जोगी राम जैन निवासी मकान नंम्बर 101, नन्द विहार कालोनी जाटल रोड़, पानीपत।

The Petition/Representation was placed before the Committee in its meeting held on 28.11.2023 and the Committee desired that comments/reply of the concerned Department may be obtained within 07 days. The Committee received reply from the concerned department, which reads as under: -

सेवा में

अवर सचिव,
हरियाणा विधान सभा सचिवालय,
सैक्टर 1, चण्डीगढ़ ।

विषयः– याचिका समिति की बैठक श्री प्रेमचन्द जैन पुत्र श्री जोगीराम को बुढ़ापा पेन्शन दिलवाने बारे।

आपके पत्र क्रमांक संख्या/ह०वि०स०/याचिका/2/2024–25/14844–53 दिनांक 18/07/2024के सन्दर्भ में।

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के पत्र कमांक 2047/एस० जे0ई0 2024 दिनांक 06/02/2024 के माध्यम से आपकी सेवा में अनुरोध सहित सूचित किया गया था कि श्री प्रेमचन्द जैन, पुत्र श्री जोगीराम, पेंशन

आई०डी० 6845486 को दिनांक 25/01/2024 को पुनः चालू कर दिया गया था। तथा लाभार्थी को माह जनवरी, 2024 से पैन्शन का भुगतान शुरु कर दिया गया था। लाभार्थी की बकाया पैन्शन एरियर राशि की अदायगी बारे आगामी कार्यवाही कर ली जायेगी।

इस सम्बन्ध में आपकी सेवा में पुनः अनुरोधपूर्वक सूचित किया जाता है कि श्री प्रेमचन्द जैन पुत्र श्री जोगीराम की जनवरी 2021 से दिसम्बर, 2023 तक बकाया पेन्शन की राशि 91,500/–रू0 का भुगतान पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से उनके बैंक खाते में कर दी गयी है। श्री प्रेमचन्द जैन पुत्र श्री जोगीराम द्वारा का बकाया पैन्शन राशि की प्राप्ति बारे तसदीक कर दिया गया है तथा उन्होंने इस पर सहमति व्यक्त की है कि अब उन्हें किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है तथा उनकी समस्या का समाधान हो गया है। जिसकी प्रति संलग्न है।

अतः उक्त तथ्यों के दृष्टिगत अनुरोध है कि उक्त मामले को दफतर दाखिल करने का कष्ट करें।

हस्ता

अधीक्षक (पैंशन)
सामाजिक न्याय, अधिकारिता,
अनुसूचित जातियां एव पिछडा वर्ग
कल्याण तथा अंत्योदय (सेवा) विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़।

The Petitioner submitted an application before the department which, reads as under: -

मैं प्रेम चन्द जैन पुत्र श्री जोगी राम जैन निवासी मकान नंम्बर 101, नन्द विहार कालोनी जाटल रोड़, पानीपत पेंशन विभाग से पेंशन आई0डी0 नम्बर 6845486 के मार्फत बुढ़ापा पेंशन का लाभ दिंनाक 27.07.2020 से प्राप्त कर रहा था। मेरी पेंशन विभाग द्वारा रोक दी गई थी। जोकि 25.01.2024 को पुनः शुरू कर दी गई थी। अब मेरी रूकी हुई पेंशन की बकाया राशि 91,500/– रूपये 1/2021 से 12/2023 तक की अवधि राशि बैंक खाते में दे दी गई है। अब मेरी सारी रूकी हुई पेंशन प्राप्त हो चुकी है। मुझे अब किसी प्रकार की कोई शिकायत नही हैं। मेरी समस्या का समाधान हो गया हैं।

हस्ता
प्रेम चन्द जैन पुत्र श्री जोगी राम जैन
निवासी मकान नंम्बर 101, नन्द
विहार कालोनी जाटल रोड़, पानीपत।

After detailed discussion, the Committee satisfied with the reply of concerned department, the petition/representation is disposed off accordingly in its meeting held on 23.07.2024.

2. PETITION/REPRESENTATION RECEIVED FROM SHRI TARUN SETHI S/O SHRI SANJEEV SETHI RESIDENT OF H. NO. 1370, AZAD NAGAR, STREET NO. 6, YAMUNANAGAR REGARDING NOTICE SENT TO THE APPLICANT, TARUN SETHI UNDER SECTION 41A ON 05.12.2024 BY THE SHO, FARAKPUR DISTRICT YAMUNANAGAR, WHICH READS AS UNDER: -

To

Chairman,

Petition Committee, Haryana Vidhan
Sabha, Chandigarh.

Sub:- Representation against sending notice under section 41A on dated 5-12-2024 by SHO,P.S. Farakpur in FIR no- 524 dt- 30-5-2024 under sections 323, 324, 506, 34 IPC registered with city Yamuna Nagar applicant Tarun Sethi inspite of this FIR P.S. fact in no. to 524, cancellation report dated 5-7-2024 has already been sent by P.S. City Yamuna Nagar-

Hon'ble Sir

The applicant Tarun Sethi son of Sanjeev Sethi] resident of House no- 1370, Azad Nagar Street no. 6 Yamuna Nagar Tehsil Jagadhri District Yamuna Nagar respectfully submits as under:-

1. That the applicant is permanent bonafide resident of above address and he is a law-abiding person and has full faith and loyalty in the Indian constitution.

2. That on 30-05-2024, at about 12:45 pm. when the applicant was withdrawing money from ATM, at that time, a person named Jauni alias Yogesh Kumar standing there was staring at the applicant and then he started abusing the applicant without any reason. Meanwhile, Karan friend of the applicant who was passing from there, came there on seeing this incident but the Johny started using castism words for Karan calling him that he is a bastard ‘Chamaar' and what he is looking atandtold him that they have already killed a boy and he will kill the applicant too and no one will know. It is important to note that Johny is already an accused in the case of 302 IPC and has criminal background. After some time, Johnny stood on the street no. 4 and started abusing, then he went to call some boys. The applicant and Karan escaped from there and started for their work and when they were turning from lane no. 11 at 1:15/1:30 in the afternoon towards Shastri Colony, said accused Johny accused in criminal conspiracy with Harvinder alias Shalu son of Gulshan, Manni and Hanni both sons of Gulshan Kumar, residents of Azad Nagar, street no. 10, Yamuna Nagar and other unknown persons attacked on the applicant and when the applicant stopped his car, the above accused attacked with iron rods, sticks and rods in their hands and broke the entire car and the glass of the car hit the hand of accused Harvinder @ Shalu and he broke the 10 gram gold chain from the neck of Shera alias Sahran and attacked him with an iron rod. Due to which he suffered serious injuries on his waist and right hand and he threatened Jashan alias Jassi and Karan by calling ‘Chude-Chamaar' that he will kill the applicant and others and will teach a lesson for helping the applicant Tarun and with great difficulty the applicant and his above friends ran away from there saving their lives from the accused.Immediately after this the applicant went to Civil Hospital Yamuna Nagar where Shera alias Sehran was medically treated and his medical was done. Thereafter went to Ram Pura police station and gave application for taking legal action against the above accused Harvinder Shalu etc. But the Police did not lodge any. The

applicant personally met the investigating the officer several times and requested inspector Satpal to take the footage of the CCTV camera installed at the spot but the CCTV camera footage was not taken and on the other hand, he started threatening the applicant to register a false case against the applicant. After this, the applicant personally appeared before the S.P. Yamuna Nagar and informed about the entire incident and submitted the application no. 4908 on which S.P. Yamuna Nagar directed Shri Praveen Kumar, Chowki Incharge to investigate but he did not investigate the CCTV footage and rather started pressurizing applicant to take back / withdraw his application otherwise FIR will be registered against him.

3. That as stated above because the accused party Harvinder @ Shalu, Johny, Manni and Hanni are influential persons and Johny is already booked in 302 case and they have good hearsay with local police and at their instance neither Inspector Satpal nor Incharge Parveen kumar took any action on the complaint of applicant, rather on the behest of above accused Johny@Yogesh, as a counter blast, a false FIR no. 524, 30.5.2024 under section 323, 324, 34, 506 IPC was fabricated and got registered with P.S.cityYamuna Nagar against the applicant.

4. That feeling aggrieved, the applicant made a representation to the Director General of Police, Haryana, Panchkula on explaining the whole actual incident of 30.5.2024 whereby all the four accused had attacked on the applicant and his friends and damaged his car and caused injuries and ultimately on the intervention and direction of DGP, Haryana for fair investigation and action against the real culprits i.e. Harvinder@Shalu Johny @Yogesh, Hanni and Manni, in terms of letter no.5743 dated 22.06.2024 to the office of Superintendent of Police Yamuna Nagar and on investigation by DSP Shri Rajesh Kumar, H.P.S. it was ultimately found that serious crime under section 148, 149, 323, 427,506, IPC had been committed by the above four accused and accordingly FIR no. 646 dated 05.07.2024 section 148, 149,323,427,506, IPC was registered at Police Station City Yamuna Nagar against all the above accused Harvinder@Shalu, Johny@Yogesh, Hanni after cancelling the false FIR no. 524 dt 30.5.2024 which was falsely got registered against the applicant. The police has also sent cancellation report of FIR no. 524 to the concerned ld. Ikaga magistrate, Jagadhri on 25.7.2024.

5. That it all shows and proves that the applicant is innocent and the other party i.e Harvinder @ Shalu Johny @ Yogesh, Hanni and Manni are actual culprits who are bent upon to harm the applicant and they keep a grudge against the applicant.

6. That because the above accused persons named Harvinder @ Shalu Johny @ Yogesh, Hanni and Manni are influential persons, now they through the instrumentality of SHO Farakpur have got issued a notice under section 41-A in FIR no. 524 dt. 30.5.2024 (which infact stood cancelled by P.S. City Yamuna Nagar) and inspite of the fact that the SHO P.S. Farakpur has no right to issue such notice because FIR no. 524 had been registered with P.S. City Yamuna Nagar and not with P.S. Farakpur It that shows at the instance of above accused person Yogesh @ Johny wants to harass the applicant Tarun Sethi by sending false and illegal notice under section 41-A dt- 5.12.2024 which is a very serious matter.

7. That the applicant apprehends danger to his life and liberty after receiving the notice under section 41-A from SHO P.S. Farakpur and enquiry and strict action deserves to be taken/conducted against the police officers as well as culprits who are playing and misusing the process of law.

It is therefore most humbly and respectfully prayed that strict action may kindly be taken, in view of submissions made above and the applicant Tarun Sethi may kindly be saved.

Applicant

-sd-

Tarun Sethi son of Sanjeev Sethi, resident of House no. 1370, Azad Nagar, street no. 6,Yamuna Nagar Tehsil Jagadhri, Yamuna Nagar.

The Petition/Representation was placed before the Committee in its meeting held on 21.01.2025 and the Committee desired that comments/reply of the concerned department may be obtained within a period of 10 days. The reply was received from the concerned department, which reads as under: -.

To

The Under Secretary,
Haryana Vidhan Sasha,
Chandigarh.

Sub:- Regarding notice sent to the applicant, Tarun Sethi under section 41A on 05-12-2024 by the SHO, Farakpur District Yamunanagar.

Reference on the subject noted above.

2 Please find enclosed herewith copy of the details of various enquiries conducted in subject cited petitions for your kind perusal and necessary action in the mater

-sd-

Superintendent-cum -Section Officer
Horne, for Additional Chief Secretary to Govt., Haryana Home Department.

प्रेषक

पुलिस महानिरीक्षक,
अम्बाला मण्डल, अम्बाला छावनी।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
हरियाणा, पंचकुला।

विषयः– श्री तरुण सेठी पुत्र श्री सन्जीव सेठी वासी मकान नम्बर 1370 आजाद नगर, गली न 06 यमुनानगर द्वारा प्रस्तुत धारा 41ए के तहत दिनांक 05.12.2024 को प्रबन्धक थाना फर्कपुर जिला यमुनानगर द्वारा भेजे गए नोटिस से सम्बन्धित याचिका/अभयावेदन के सम्बन्ध में।

यादि/

कृपया अपने कार्यायल के बान पृष्ठांक संख्या 2673–75/जी.ए.–4 दिंनाक 06.02.2025, विषय उपरोक्त के सम्बन्ध में।

विषयधीन उपरोक्त के सम्वन्ध में रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक यमुनानगर से प्राप्त की गई है। रिपोर्ट के अवलोकन उपरान्त विस्तृत रिपोर्ट निम्न प्रकार से हैः–

दिनांक 30.05.2024 को योगेश कुमार पत्र गुलशन कुमार वासी गली न० 10 आजाद पर थाना शहर यमुनानगर ने हाजिर पुलिस चौकी रामपुरा आकर अपनी एक दरखास्त व एम.एल.आर. विरुद्ध तरुण सेठी पुत्र सन्जीव सेठी वासी गली नं0 06 आजाद नगर यमुनानगर व उसके अन्य 04/05 साथियों बाबत दिनांक 30.06.2024 को गली नं0 06 आजाद नगर में शिकायतकर्ता के भाई जितेन्द्र को तरुण सेठी द्वारा रोकने व उसके कुछ देर बाद तरुण सेठी व उसके साथियों द्वारा सफेद सफारी गाड़ी में आकर गली न0 10 आजाद नगर में मुदई के दफतर ने सामने मुदई व उसके भाई हरविन्द्र कुमार के ऊपर हमला करके चोटें मारने बारे व जान से मारने की धमकी देने बारे पेश की थी जिस पर अभियोगांक 524 दिनांक 30.05.2024 धारा 323,324,506,34 भा.द.स. थाना शहर यमुनानगर पंजीकृत करके प्रारम्भिक अनुसंधान उ० नि० सतपाल नं० 292ए पुलिस चौकी रामपुरा थाना यमुनानगर द्वारा अमन में लाया गया। अभियोग में अनुसंधान के दौरान मौका घटनास्थल कर निरीक्षण किया गया, नक्शा मौका नजरी तैयार किया गया, हाजरीन को शामिल अनुसंधान करके पूछताछ की गई। शिकायतकर्ता अभियोग द्वारा पेश की गई पेनड्राईव/विडियो फुटेज को कब्जा पुलिस में लिया गया व पीड़ित को लगी चोटों बारे डाक्टर साहब से दिनांक 20.06.2024 को राये हासिल की गई। अभियोग में श्री राजेश कुमार, ह०पु०से० उप पुलिस अधीक्षक यमुनानगर–2 के सत्यापन (अनुपूरक संख्या 07 दिनांक 27.06.2024 के अनुसार) इस अभियोग के शिकायतकर्ता पक्ष द्वारा ही आरोपी पक्ष के साथ झगड़ा करके चोटें पहुंचाने बारे हालात सही नहीं पाए जाने पर प्रबन्धक थाना शहर यमुनानगर द्वारा अभियोग में दिनांक 05.07.2024 को अखराज रिपोर्ट अंकित की गई।

इसके अतिरिक्त शिकायतकर्ता तरूण सेठी पुत्र श्री सन्जीव सेठी वासी म. न. 1370 आजाद नगर, गली न० 06 यमुनानगर द्वारा पुलिस महानिदेशक हरियाणा के सम्मुख पेश होकर शिकायत सख्या 1862/एस.जे.डबलू दिनांक 12.06.2024 पेश की गई, जिसे जिला पुलिस कार्यालय के शिकायत क्रमांक 5743 दिनांक 22.06.2024 के अनुसार श्री राजेश कुमार ह.पु.से. उप पुलिस अधीक्षक, यमुनानगर–2 को जाँच हेतु भिजवाया गया। दौराने जांच परिवादी तरुण सेठी की शिकायत संख्या 5743 दिनांक 22.06.2024 पर 1. हरविन्द्र उर्फ शालू पुत्र गुलशन 2. जौनी उर्फ योगेश कुमार पुत्र गुलशन 3. मन्नी पुत्र गुलशन 4. हनी पुत्र गुलशन कुमार निवासीगण आजाद नगर गली नम्बर 10, यमुनानगर तहसील जगाधरी जिला यमुनानगर वा अन्य नामपता नामालूम व्यक्तियों के विरुद्ध दिनांक 30.05.2024 को शिकायतकर्ता तरुण सेठी के साथ गाली गलोच करने, मारपीट करने, कार में तोड फोड करने व जान से मारने की धमकी देने पर अभियोगांक 646 दिनांक 05.07.2024 धारा 148, 149,323,427,506 भा०द०स० थाना शहर यमुनानगर पंजीकृत करके प्रारम्भिक अनुसंधान उ०नि० निर्मल सिंह न० 142. पुलिस चौकी रामपुरा थाना शहर यमुनानगर द्वारा अमल में लाया गया। दौराने अनुसंधान मौका घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, ब्यानात गवाहन लिखे गए। उसके पश्चात अभियोग का आगामी अनुसंधान निरीक्षक जगदीश चन्द तत्कालीन प्रबन्धक थाना शहर यमुनानगर द्वारा अमल में लाया गया।

परिवादी योगेश कुमार द्वारा अधोहस्ताक्षरी के सम्मुख पेश होकर एक शिकायत संख्या 437–ए/वाई.एन. आर/ए.आर. दिनांक 22.08.2024 दी गई। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 17582/सी.सी. दिनांक 22.08.2024 के अनुसार परिवाद व दोनों अभियोगांक 646 दिनांक 05.07.2024 धारा 148,149,323,427,506 भा०द०स० थाना शहर यमुनानगर व अभियोगांक 524 दिनांक 30.05.2024 धारा 323,324,506,34 भा०द०स० थाना शहर यमुनानगर को जाँच के लिए सहायक पुलिस अधीक्षक, अम्बाला के पास भिजवाई जाने के सादर आदेश पारित किए गए। जिस पर सहायक पुलिस अधीक्षक, अम्बाला द्वारा उपरोक्त दोनों अभियोगों की फाईलों का अध्ययन करने उपरान्त आवश्यक दिशा–निर्देश पारित किए गए।

उसके पश्चात इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 21970/सी.सी. दिनांक 29.10.2024 आदेशानुसार उपरोक्त दोनों अभियोगों की फाईलों में आगामी अनुसन्धान के लिए उप नि० जनक राज प्रबन्धक थाना फर्कपुर, जिला यमुनानगर द्वारा सहायक पुलिस अधीक्षक अम्बाला द्वारा दिए गए दिशा–निर्देशों के अनुरूप अनुसन्धान किए जाने के आदेश पारित किए गए। उप नि. जनक राज प्रबंधक थाना फर्कपुर द्वारा अभियोगांक 646 दिनांक 05.07.2024 धारा 148. 149,323,427,506 भा०द०स० थाना शहर यमुनानगर में अभियोगांक 524 दिनांक 30.05.2024 धारा 323,324,506,34 भा०द०स० थाना शहर यमुनानगर को प्राप्त करके मिशल मुकदमा का अवलोकन किया गया।

सहायक पुलिस अधीक्षक, अम्बाला के द्वारा दिए गए दिशा–निर्देशों के अनुरुप पुनः मौका घटनास्थल का निरीक्षण किया गया व आजाद नगर में घटनास्थल के आस–पास के दुकानदारों को शामिल अनुसन्धान किया गया। अभियोग में अनुसंधान के दौरान प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं हुई और अभियोग में अनुसंधान के दौरान हासिल किए गए साक्ष्यों व तथ्यों के आधार पर तरुण सेठी ही अग्रेसिव पार्टी पाई गई। जिस पर अभियोगांक 646 दिनांक 05.07.2024 धारा 148, 149,323,427,506 भा०द०स० थाना शहर यमुनानगर में दिनांक 23.01.2025 को निरसन रिपोर्ट अंकित की गई है।

इसके अतिरिक्त उप नि. जनक राज, प्रबंधक थाना फरकपुर अभियोगांक 524 दिनांक 30.05.2024 धारा 323,324,506,34 भा०द०स० थाना शहर यमुनानगर में आरोपी तरुण सेठी उपरोक्त को अपने साथियों सहित अभियोग में शामिल अनुसंधान होने हेतू नोटिस जेर धारा 41–ए द०प्र०सं० दिया गया, परन्तु आरोपी तरुण सेठी उपरोक्त ने अभियोग में अपने व अपने साथियों को शामिल अनुसंधान होने से मना/इन्कार कर दिया था। उसके पश्चात उप नि० जनक राज प्रबन्धक थाना फर्कपुर द्वारा आरोपी तरूण सेठी उपरोक्त को मौका घटनास्थल पर बुलाया गया और मौका घटनास्थल का गहनता से निरीक्षण किया गया तथा अभियोग में सचाई जानने हेतू खुफिया तौर पर भी जाँच अमल में लाई गई। जॉच के दौरान मौका घटनास्थल पर मौजूद दस दुकानदारों ने अपने–अपने शपथ पत्र भी पेश किये हैं कि तरूण सेठी व उसके साथियों ने ही योगेश कुमार व उसके भाई हरविन्द्र सिंह के साथ उनकी दुकान के बाहर आकर मारपीट करके चोटें पहुँचाई हैं व जान से मारने की धमकी दी है। उप नि. जनक राज, प्रबंधक थाना फरकपुर द्वारा परिवाद की रिपोर्ट भिजवाते हुए अभियोगांक 524 दिनांक 30.05.2024 धारा 323,324,506,34 भा०द०स० थाना शहर यमुनानगर का अनुसन्धान प्रबंधक थाना शहर यमुनानगर को सौपने की अनुसशां किए जाने पर अभियोग की फाईल प्रबंधक थाना शहर यमुनानगर के पास भिजवाई गई।

अब अभियोग का अनुसंधान स.उ.नि. मुकेश कुमार, पुलिस चौकी रामपुरा थाना शहर यमुनानगर द्वारा अमल में लाया जा रहा है। अभियोग में अनुसंधान के दौरान दिनांक 31.01.2025 को आरोपी जशन उर्फ जस्सी पुत्र स्वर्गीय कमलजीत सिंह वासी वार्ड न. 11 महादेव कालोनी थाना शहर यमुनानगर जिला यमुनानगर को विधिपूर्वक शामिल अनुसंधान करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय अरनेश कुमार बनाम बिहार की पालना करते हुए बाद हिदायत फारिग किया गया। जिसको आईन्दा चालान के साथ माननीय अदालत में पेश किया जाएगा। आरोपी जशन @ जस्सी के फर्द इन्कसाफ के अनुसार अभियोग में आरोपियान तरुण सेठी, सहरान उर्फ शेरा वासी गली न० 06 आजाद नगर, कर्ण पुत्र रामेश्वर वासी गली न० 04 आजाद नगर व हर्षित की संलिप्तता पाई गई है, जिनकी गिरफतारी बकाया है। रिपोर्ट सेवा में प्रस्तुत है।

उपरोक्त रिपोर्ट से अधोहस्ताक्षरी सहमत है।

हस्ता

पुलिस महानिरीक्षक,

अम्बाला मण्डल, अम्बाला छावनी।

The Committee orally examined the representatives of the concerned department & petitioner in its meeting held on 11.02.2025. The departmental representatives assured to the Committee that a fresh and independent investigation will be conducted in this matter. After that the Committee orally examined on 20.05.2025, after discussion, the Committee observed that the department constituted a SIT in this matter and submit report the Committee. The concerned department send a detailed reply to the Committee on 14.07.2025, which reads as under: -

सेवा में,

अवर सचिव,

हरियाणा विधानसभा,

चण्डीगढ़।

विषयः– श्री तरुण सेठी पुत्र श्री सन्जीव सेठी वासी मकान नम्बर 1370 आजाद नगर, गली न 06 यमुनानगर द्वारा प्रस्तुत धारा 41ए के तहत दिनांक 05.12.2024 को प्रबन्धक थाना फर्कपुर जिला यमुनानगर द्वारा भेजे गए नोटिस से सम्बन्धित याचिका/अभयावेदन के सम्बन्ध में।

याचिकाकर्ता श्री तरूण सेठी द्वारा लगाई गई याचिका के सम्बन्ध में की गई पुलिस कार्यवाहीः–

(i) श्री योगेश कुमार पुत्र श्री गुलशन कुमार निवासी मकान नम्बर 5 गली न० 10, आजाद नगर, यमुनानगर की शिकायत पर याचिकाकर्ता तरूण सेठी पुत्र संजीव सेठी निवासी मकान नम्बर 1370 गली नम्बर 06 आजाद नगर, थाना शहर यमुनानगर, जिला यमुनानगर व 04/05 अन्य लड़कों के विरूद्ध शिकायतकर्ता व उसके भाई हरविन्द्र कुमार के साथ लोहे की राड से हमला करके, चोटें मारने व जान से मारने की धमकी देने बारे अभियोगांक 524 दिनांक 30.05.2024 धारा 148, 149, 323, 324, 201 भा.द.स. थाना शहर यमुनानगर अंकित है। अभियोग में अनुसन्धान के दौरान दिनांक 31.01.25 को जशन उर्फ जस्सी पुत्र स्व. कमलजीत सिंह वासी वार्ड न० 11 महादेव कालोनी, थाना शहर यमुनानगर, जिला यमुनानगर को विधिपूर्वक शामिल अनुसंधान किया गया, दिनाक 21.02.2025 को आरोपी कर्ण पुत्र रामेश्वर दास निवासी गली नम्बर 04 आजाद नगर, यमुनानगर थाना शहर यमुनानगर, दिनांक 22.03.2025 को आरोपी तरुण सेठी पुत्र संजीव सेठी निवासी मकान नम्बर 1370 गली नम्बर 06 आजाद नगर, थाना शहर यमुनानगर, जिला यमुनानगर, दिनांक 05.04.2025 को आरोप हर्षित कुमार पुत्र अवनीश कुमार निवासी मकान नं0 23 बावा कलोनी यमुनानगर, 16.04.2025 को आरोपी सहरान उर्फ शेरा निवासी पुत्र इमरान निवासी मकान न0 341 शिवपुरी बी आई.टी.आई यमुनानगर थाना फर्कपुर, जिला यमुनानगर को माननीय न्यायालय से अग्रिम जमानत होने पर विधि अनुसार शामिल अनुसन्धान किया गया है। अभियोग में अनुसन्धान के दौरान धारा 148, 149, 201 भा.द.स. बढ़ाई गई है।

(ii) इसके उपरान्त उपरोक्त अभियोग में माननीय पुलिस अधीक्षक, यमुनानगर के आदेश क्रमांक 633/प्रवाचक दिनांक 21.05.2025 के अनुसार पुलिस अधीक्षक, यमुनानगर की अध्यक्षता में प्रबन्धक थाना शहर जगाधरी व प्रभारी पुलिस चौकी बुडिया गेट जगाधरी को सदस्य नियुक्त करते हुए विशेष अनुसन्धान टीम का गठन किया गया था। जो विशेष अनुसन्धान टीम के द्वारा दिनांक 09.06.2025 को याचिकाकर्ता तरूण सेठी को शामिल अनुसन्धान करके, अभियोग बारे पूछताछ करके, विशेष अनुसन्धान टीम के सदस्यों को अभियोग के आगामी अनुसन्धान बारे आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे। जिनकी अनुपालना में विशेष अनुसन्धान टीम के द्वारा दिनांक 11.06.2025 को घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। याचिकाकर्ता तरूण सेठी से घटना से सम्बन्धित फुटेज की पेन ड्राईव को कब्जा में लिया गया है। दिनांक 25.06.2025 को दोनों पक्षों को शामिल अनुसन्धान करके, अभियोग बारे गहनता से पूछताछ की गई है। पुलिस अधीक्षक, यमुनानगर व विशेष अनुसन्धान टीम के सदस्यों द्वारा दोनों पक्षों की पूछताछ में काफी भिन्नता पाई गई है। जो अभियोग की फाईल के साथ सलग्न मोबाईल फोन से बनाई सी.सी.टी.वी. कैमरों की फुटेज के अवलोकन से पाया गया है कि दिनांक 30.05.2024 को समय करीब 12.47 पी.एम. पर तरूण सेठी ए.टी.एम. के बाहर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है व जितेन्द्र उर्फ जोनी अपनी मोटर साईकिल पर जाता व मोटर साईकिल मोडकर वापिस आकर ए.टी.एम. पर खड़ा दिखाई देता है। जिनकी आपस में बोलचाल होती दिखाई दे रही है। जो समय करीब 1.10 पी.एम. पर कर्ण अपनी मोटर साईकिल पर आता है और इनके पास आकर खड़ा हो जाता है। जो जितेन्द्र उर्फ जोनी के साथ हाथ मिलाता है। समय 1.12 पी.एम. पर दो अन्य व्यक्ति भी मौका पर आ जाते है। जो समय करीब 1.15 पी.एम. पर जितेन्द्र उर्फ जोनी अपनी मोटर साईकिल पर ए.टी.एम. के सामने से जाना पाया गया है। अभियोगांक 646

दिनांक 05.07.2024 धारा 148,149,323,427,506 भा.द.स. थाना शहर यमुनानगर में दिनांक 05.07.2024 को कब्जा पुलिस में ली गई पैन ड्राईव व अन्य सलग्न सी.सी.टी.वी. कैमरों की फुटेज का अवलोकन किया गया है। अवलोकन के दौरान पाया गया है, कि सभी सी.सी.टी.वी. कैमरे अलग अलग जगह पर लगे हुए है। जिनके समय में काफी भिन्नता पाई गई है। जिस पर सभी सी.सी.टी.वी. कैमरों की फुटेज का घटना के अनुसार क्रमवार अवलोकन से पाया गया है, कि सतगुरू कम्यूनिकेशन के पास लगे सी.सी.टी.वी. कैमरे की फुटेज 01 मिनट 26 सैकेण्ड का अवलोकन करने पर पाया गया है, कि समय 12.28.26 पी.एम. पर जितेन्द्र उर्फ जोनी मोटर साईकिल पर फ्रूट वाली रेहडी के पास आता है व समय 12.28.41 पी.एम. पर अपनी मोटर साईकिल को जल्दबाजी में वापिस मोडकर भागता हुआ दिखाई दे रहा है व समय 12.28.46 पी.एम. पर तरूण सेठी व उसके साथी जोनी के पीछे भागते दिखाई दे रहे है व समय 12.39.32 पी.एम. पर तरूण सेठी व उसके साथी वापिस आते दिखाई दे रहे है। गली नम्बर 06 के पास लगे सी.सी.टी.वी. कैमरे की 01 मिनट 37 सैकेण्ड की फुटेज का अवलोकन करने पर पाया गया है, कि समय 01.06.56 पी.एम. पर तरूण सेठी व उसके तीन अन्य साथी गालियां देते व पकडले पकडले बोलते हुए भागते दिखाई दे रहे है व समय 01.8.22 पी.एम. पर सभी वापिस आते दिखाई दे रहे है व दूसरी वीडियों जो 33 सैकेण्ड की गली नम्बर 06 की है। जिसमें समय 12.56.34 पी.एम. पर तरूण सेठी व उसका साथी जाता दिखाई दे रहा है व 12.56.43 पी.एम. पर एक लडका कैप वाला जो हाथ में ईंट/रोडे उठाकर भागता दिखाई दे रहा है और समय 12.56.55 पी.एम. पर सभी वापिस आते दिखाई दे रहे है। वीडियो नम्बर 03 जो 25 सेकेण्ड गली नम्बर 10 की है। जिसमे समय 01.17.32 से 01.17.38 पी.एम. तक तरूण सेठी व उसके साथी हाथों में डण्डे/बिन्डे लेकर भागते दिखाई दे रहे है। शास्त्री कालोनी वाले सी.सी.टी.वी. कैमरे की फुटेज का अवलोकन करने पर पाया गया है, कि वीडियो कुल 19 सैकेण्ड की है। जिसमें समय 1.17.38 पी.एम. से 1.17.45 पी.एम. तक तरूण सेठी व उसके अन्य 03 साथी अपने हाथों में डण्डे/बिन्डे लिए हुए भागते दिखाई दे रहे है। समय 1.17.52 पर एक सफेद रंग की गाडी जिसका अगला व पीछला शीशा टूटा हुआ है, जाती दिखाई दे रही है। दिनांक 16.12.2024 को उप निरीक्षक जनक राज प्रबन्धक थाना, फर्कपुर के द्वारा हरविन्द्र सिंह उर्फ शालू, पुत्र गुलशन कुमार से लडाई झगड़ा के सम्बन्ध में सी.सी.टी.वी. कैमरे से लिए गए स्क्रीन शॉट कुल 08 पेज कब्जा में लिए गए है। जिनका अवलोकन करने पर फोटो नम्बर 01 में दिनांक 30.05.2024 को 12. 28 पी.एम. पर शिकायतकर्ता अभियोग योगेश का भाई जितेन्द्र उर्फ जोनी मोटर साईकिल पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। फोटो नम्बर 02 में 12.28 पी.एम. पर सतगुरू कम्यूनिकेशन के सामने तरूण सेठी भागता दिखाई दे रहा है। फोटो नम्बर 03 में समय 1.17 पी.एम. पर तरूण सेठी हाथ में लोहे की राड लिए दिखाई दे रहा है। फोटो नम्बर 04 में तरूण सेठी का साथी ईट/रोडा उठाता दिखाई दे रहा है। फोटो नम्बर 05 में तरूण सेठी व उसके साथी हथियार सहित नजर आ रहे है। फोटो नम्बर 06 व 07 में तरूण सेठी व उसके साथी हथियारों सहित दिखाई दे रहे हैं। फोटो नम्बर 08 में तरूण सेठी के साथी के हाथ में हथियार दिखाई दे रहा है। घायल हरविन्द्र सिंह उर्फ शालू की MLR No-GD/381/MLR/YNR/24 दिनांक 30.05.2024 में डाक्टर साहब ने कुल 03 चोटें जिनमें चोट नम्बर 01 Sharp व चोट नम्बर 02 व 03 Blunt लगनी अंकित की हुई है। जिस सम्बन्ध में दिनांक 27.01.2025 को सरकारी हस्पताल, यमुनानगर से घायल हरविन्द्र को लगी चोटों बारे Nature of injury प्राप्त की गई है। जो डाक्टर साहब ने अपनी रिपोर्ट में चोट नम्बर 01, 02 व 03 को Simple पद Nature अंकित किया हुआ है। जिससे अभियोग में धारा 324 भा.द.स. का होना नहीं पाया गया है। जो उपरोक्त सभी सी.सी.टी.वी. कैमरो की फुटेज के अवलोकन से व घटना के समय घटनास्थल पर उपस्थित व्यक्तियों की पूछताछ से दोनों पक्षों के बीच केवल आपस में बहसबाजी व बोलचाल का होना पाया गया है। दोनों पक्षों की आपस में ऐसी कोई मारपीट होनी नहीं पाई गई है, कि जिससे किसी भी पक्ष को चोट आ सके। जो घायल हरविन्द्र सिंह उर्फ शालू के हाथ पर तरूण सेठी की गाडी का शीशा तोडते समय चोट लगनी पाई गई है। जो इस घटना के सम्बन्ध में ही तरूण सेठी पुत्र संजीव सेठी निवासी मकान नम्बर 1370 गली नम्बर 06 आजाद नगर, थाना शहर यमुनानगर, जिला यमुनानगर के द्वारा भी हरविन्द्र उर्फ शालू, योगेश कुमार, जितेन्द्र उर्फ जोनी, हन्नी पुत्रान गुलशन कुमार निवासीगण मकान नम्बर 05, गली नम्बर 10, आजाद नगर, यमुनानगर व अन्य नामपता नामालूम व्यक्तियों के विरूद्ध तरूण सेठी व उसके साथियों के साथ लडाई झगडा करने, गाडी के शीशे तोडने व जान से मारने की धमकी देने बारे अभियोगांक 646 दिनांक 05.07.2024 धारा 148, 149, 323, 427,

506 भा.द.स. थाना शहर यमुनानगर अंकित करवाया हुआ है। जिसमें अनुसंधान के दौरान कोई साक्ष्य सामने नहीं आने पर दिनांक 23.01.2025 को निरसन रिपोर्ट अंकित की हुई है।

(iii) जो उपरोक्त अभियोग संख्या 524 दिनांक 30.05.2024 धारा 148, 149, 323, 324, 201 भा.द.स. थाना शहर यमुनानगर में अब तक के अनुसन्धान से दोनों पक्षों की पूछताछ से, मौका के गवाहों की पूछताछ से व घटना से सम्बन्धित सी.सी.टी.वी. कैमरों की फुटेज के अवलोकन से योगेश कुमार पुत्र गुलशन कुमार के द्वारा अंकित करवाए गए अभियोग संख्या 524 दिनांक 30.05.2024 धारा 148, 149, 323, 324, 201 भा.द.स. थाना शहर यमुनानगर में लगाए गए आरोपों बारे कोई भी साक्ष्य सामने नहीं आए है। इसलिए उपरोक्त अभियोग की निरसन रिपोर्ट अंकित की गई।

हस्ता
अधीक्षक
कृतेः पुलिस महानिदेशक, हरियाणा।

Thereafter, the Committee orally examined with the concerned departmental representatives and petitioner/ applicant in its meeting held on 15.07.2025. The departmental representatives informed the Committee that the FIR is cancelled by the department and matter is resolved. The Committee satisfied with department and petition/ representation is disposed off accordingly.

3. PETITION/REPRESENTATION RECEIVED FROM SHRI SHYAMLAL RAWAL, EX. SARPANCH VILLAGE UJHA TEHSIL BAPOLI DISTRICT PANIPAT, REGARDING RE-INVESTIGATION OF FALSE CASE REGISTERED BY POLICE PERSONS., WHICH READS AS UNDER: -

सेवा में,

श्रीमान अध्यक्ष महोदय जी,
विधानसभा, हरियाणा।

विषयः– **पुलिस मुलाजिमों द्वारा सैटिंग कर बनाये गए झूठे केस नं0 760 तिथि 15/11/21 व आर्मअक्ट केस नं0 528 तिथि 20/11/21 की विधानसभा की जनयाचना कमेटी से जांच कराकर न्याय देने बारे।**

श्रीमान जी

निवेदन है कि मैं श्यामलाल रावल पुत्र श्री करता राम निवासी गांव उझा का रहने वाला हूं। जनाब मौका के एस.एच.ओ. ने गोली चलाने वाले व ट्रैकटर गाडी व मोटरसाइकिलों से आए बदमाशों को बचाने के लिए रिश्वत लेकर उल्टा मेरे व मेरे परिजनों के ही उपर झूठा केस नं0 760/21 थाना चांदनी बाग दर्ज कर दिया और सी.आई.ए. 3 के मुलाजिमों ने भी रिश्वत लेकर मेरे बेटे के साले को नाजायज बहुत टॉर्चर किया व मारपीट की और झूठा केस नं0 528/21 थाना सैक्टर 29 में दर्ज कर दिया। इन दोनों केसों में हमारी बेगुनाही के काफी सबूत व गवाह हमारे पास हैं। पहले भी मेरी शिकायतों पर काफी बार अलग अलग अधिकारियों ने जांच की लेकिन हर बार अपने मुलाजिमों व गुनाहगारों को बचाने के लिए जांच में लीपापोती कर आज तक हमें

न्याय से वंचित रखा और झूठी रिपोर्ट तैयार कर दीं। अतः जनाब से प्रार्थना है कि इन मामलों की विधानसभा की जनयाचना कमेटी से सही से जांच कराकर हमें न्याय दिलाने की कृपा करें।

इन मामलें से संबंधित विस्तृत कॉपी साथ संलग्न हैं।

भवदीय
हस्ता
श्यामलाल रावल पूर्व सरपंच गांव उझा
तहसील बापौली हल्का समालखा व
उपाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद पानीपत।

मामले की विस्तृत काँपी:-

केस नं. 760 तिथि/15/11/21 (थाना चांदनी बाग, पानीपत) चालान प्राप्तिः– 7/6/22

निवेदन यह है कि 3 व 6/11/2021 को हमें न गेहूं बीजने दिये व ना जीरी उठाने दी। झगडा किया। 6/11/21 को हमने थाना चांदनी बाग में 27739 नं पर दरखास्त दी। 7–11–2021 को आजाद व प्रेम दिन में करीब 11–12 बजे पिस्तौल व 15–20 कई गांव के हथियारों से लैस बदमाशों (मुकेश पुत्र महेंद्र, प्रवीन पुत्र सतपाल, राजेंद्र पुत्र सियानंद, सुरेंद्र पुत्र भोपाल नि०– जलालपुर–सोनू उर्फ बमला पुत्र सुरेश बापौली–जोगिंद्र पुत्र पितमा गोयला खुर्द व अन्य 15–20 किलो मीटर दूर के नाम पता नामालूम व्यक्ति) सहित 15–20 कि० मी० दूर से सुजुकी बलैनो कार एच.आर. 60 के 9046 व अन्य, मोटरसाइकिलें व ट्रैक्टर महिंदा अर्जुन (ईजन नं- NLF2UDE0094) से खेत में झगडा करने व हमें जान से मारने की नीयत से पहुंचे। हमने बदमाशों को देखकर पुलिस हेल्पलाईन नं० 112 पर शिकायत (नं0–251377) दर्ज कराई थी। उन्होने हमारे साथ गाली –गलौच व मारपीट की व आजाद ने मेरे लडके सुनील पर गोली चलाई जिससे वह बाल–बाल बच गया तो पिस्तौल का बट मारा। इस वारदात के समय 112 नं. पुलिस व फिर आई.ओ. मौका पर पहुंच गए। उन्होंने मौका पर विडियो बनाई व फोटो खींची। ट्रैक्टर की चाबी ले ली थी जोकि 3 दिन बाद ट्रैक्टर छोड दिया। हमारे पास भी मौका के कुछ विडियो व अन्य गवाह मौजूद है। हमारे पास विडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें बदमाश आजाद की रिवाल्वर छिपाते हुए बट दिख रहा है व बदमाश ट्रैक्टर कार व मोटरसाकिलें भी दिख रहीं हैं। प्रेम 112 मुलाजिमों से बतला रहा है। 112 नं. पुलिस मुलाजिम आई.ओ. तस्वीर से कॉल रिकॉर्डिंग में कह रहा है प्रेम ने बाहर से बदमाश बुला रखे थे व मौका पर किसी को चोट ना थी। हमने सरकारी अस्पताल से एम. एल.आर. नं. PM/1491, PM/1492/ PNP/2021 बनवाई व दवा ली। थाना में शिकायत नं. 277441 तिथिः 7/11/21 दी आज तक कार्यवाही नहीं। बदमाशों व गाडियों के नाम नम्बर भी दिए हैं जबकि 18/11/21 पेशी नं 1529 की जांच रिपोर्ट में डी.एस.पी. श्री सन्दीप ने लिखा कि केवल थप्पड़ मुक्कों की लडाई हुई है और शामलाल व सुनील को भी चोट लगी है व अलग से आई.ओ. को दिशा निर्देष दिए लिखा व पेशी नं. 1585 तिथि 29/12/21 श्री विजय जी ए.एस.पी. की रिपोर्ट में व ए.एस.पी. श्रीमति पूजा वशिष्ट ने भी अपनी 1/22 की रिपोर्ट में भी हमें चोटिल होना माना गया है जबकि आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। एस.एच.ओ. श्री मंजीत, DSP,ASP,SP व अन्य ने हमें हमारे गवाहों व सबूतों को भी किसी ने नहीं देखा सुना और जब भी मिलते तो बोल देते कि कोर्ट में पेश करना और आज तक भी प्रत्येक जांच में सच्चाई को इग्नोर करके यही दोहराया जा रहा है। डी.एस.पी. श्री सन्दीप का रीडर 7/2/23 को एक लाख दस हजार रूपये रिश्वत लेता गिरफतार हुआ व डी.एस.पी. की भी जांच जारी है।

जनाब प्रेम के लड़के आजाद की पत्नी रीना नर्स है व प्रेम के सगे साले का लडका सुशील एम.बी.बी. एस. डॉक्टर है व सरकारी अस्पताल पानीपत में कार्यरत है जोकि मिलकर झूठी डॉक्टरी कराते हैं। साथ ही इनके पास राजनैतिक पहुंच भी है। थाना चांदनी बाग प्रभारी से सैटिंग कर गोली चलना कार ट्रैक्टर मोटरसाइकिल व बदमाश सब बचा दिए और उल्टा हमारे ही खिलाफ झूठा केस 760/21 दर्ज करा दिया। हमने एस.पी. ए.एस.पी. डी.एस.पी. आई.जी. डी.जी.पी. गृहमंत्री मुख्यमंत्री व अन्य महोदय से मिलकर दरखास्ते दी।

सी.एम. विंडों नं. 106820 तिथि 17/11/21 दी जिसमें सीनियर पर्सन ने रिपोर्ट में लिखा है कि बदमाश आए थे एक तरफी कार्यवाही कर प्रार्थी के साथ अन्याय हुआ है। पेशी नं. 1529 तिथि 18/11/21 की जांच पर डी.एस.पी. श्री सन्दीप व एस.एच.ओ. श्री मन्जीत 25/11/21 को मौका पर गए जोकि जांच में 27/11/21 दर्शाया है। वहां मौका पर काफी चश्मदीद गवाह मौजूद थे लेकिन ये गाडी से उतरे मौका देखा व चलने लगे। मैंने उन्हें रोका व प्रार्थना की कि जनाब ये मौका के काफी चश्मदीद गवाह खड़े है इनके ब्यान तो दर्ज कर लें। डी.एस.पी. साहब ने उतरकर उनसे पूछा तो उन सबने बतलाया कि घटना के समय हम मौका पर मौजूद थे। प्रेम ने बाहर से कार ट्रैक्टर व मोटरसाइकिल से बदमाश बुलाए थे। आजाद ने सुनील के उपर गोली चलाई जिससे यह बाल बाल बच गया। हमने ही इनको छुडवाया था। फिर भी किसी के भी ब्यान दर्ज ना किए और गाड़ी में बैठकर चले गए। जनाब सैटिंग ऐसी थी कि हम बार बार गवाहों को दफतरो में भी लेकर गए, विडियो रिकॉर्डिंग पैन ड्राइव व अन्य सबूत दिए लेकिन 4/12/21 को झूठी रिपोर्ट कर दी कि गोली नहीं चली। कार, ट्रैक्टर मोटरसाइकिल व बदमाशों का कहीं जिक्र नहीं। हमने बार बार सभी को अनेकों दरखास्ते दी लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी और सभी जांच रिपोर्टों में हमारे गवाह व सबूतों को अनदेखा कर वही पहली रिपोर्ट कर देते हैं कि गोली नहीं चली और कार, ट्रैक्टर मोटरसाइकिल व बदमाशों का कहीं जिक्र नहीं। सभी अपराधियों को बचा देते हैं। प्रत्येक जांच रिपोर्ट में जांच की जरूरत ना लिखकर दफतर दाखिल करने की सिफारिश कर देते हैं क्योंकि न्याय ना देकर मुलाजिम बचाने हैं। हमने जांच के बाद हर जगह आर.टी.आई. लगाई लेकिन हमें कहीं से भी कभी भी हमारे द्वारा व दूसरी पार्टी के द्वारा दिये गए ब्यान, फोटो, विडियो व अन्य सबूतों की कॉपी नहीं दी गई और ना ही कहीं भी किसी भी रिपोर्ट में हमारे मौका गवाहों व सबूतो को दर्शाया गया। केवल काइम ब्रांच ए.एस.पी. मधुबन से कई बार धक्के खाने पर हमें सिर्फ हमारे व हमारे चश्मदीद गवाहों के ही सैल्फ ब्यान हल्फिया मिले। अन्य कहीं से हमें कोई भी दस्तावेज नहीं मिला। जनाब एस.एच.ओ. मन्जीत से सांठ गांठ कर रिवाल्वर से चली गोली व बदमाश बचा लिए। हमारे ही खिलाफ झूठा केस नं. 760/21 दर्ज करा दिया।

केस नं. 528 तिथि 20/11/21 (थाना सैक्टर–29 पानीपत) चालान प्राप्तिः– 8/8/22

1. सी.आई.ए.–3 इंचार्ज अनिल छिल्लर व अन्य से सांठ गांठ कर चरणसिंह को करीब दो ढाई बजे सैटिरंग के गोदाम रावल हैंडलूम डाढौला रोड से जहां काफी आदमी व कारीगर मौजूद थे। प्रेम धर्मबीर उर्फ काला व रिशिपाल ने पीटते हुए उठवा दिया। जोकि प्रेम व उसके साथी कैमरे में सी.आई.ए.–3 की गाडी का इंतजार करते हुए दिख रहे हैं फिर गाडी आने के बाद उसमें से एक मुलाजिम उतरा और प्रेम के साथ बाइक पर बैठकर गोदाम की तरफ रवाना हो गए। गाडी वहीं रूक गई। प्रेम ने गोदाम पर जाकर मुलाजिम को बताया कि इसको उठाना है। उसके बाद वे संपर्क करके गाड़ी को बुलाते हैं और वहां पहुंचकर मुलाजिम गाडी से उतरते ही चरणसिंह की पिटाई करना शुरूकर देते हैं। जिसको देख वहां पर मौजूद मास्टर कारीगर व अन्य व्यक्ति उनसे कुछ पूछते हैं तो उन्हें धक्का देकर बाहर निकाल देते हैं और कहा कि खुद पता चल जाएगा जब उसके पास कोई भी हथियार बरामद ना हुआ तो उसको गाड़ी में बैठाकर साथ ले गए और गोदाम का ताला लगाकर चाबी भी साथ ले गए। कारीगरों के कहने पर भी चाबी ना दी। उठवाकर पहले प्रेम मोटरसाइकिल पर निकला फिर गाडी गई। उस समय मौका पर चरणसिंह के पास 2 लाख 4 हजार रूपये कैश थे जोकि उसने शटरिंग का सामान लाने के लिए ले रखे थे उनमें से भी केवल 89000 रु० ही वापस दिए। हमें पता लगने पर हम उसका सभी थानों में पता करते रहे लेकिन सबने मना कर दिया फिर करीब दो घंटे बाद चरणसिंह के नं से सतबीर के पास कॉल आई और कट्टा लाकर देने को कहा फिर चरणसिंह के भाई जसवंत व चेयरमैन विरेंद्र से भी मुलाजिम ने कट्टा लाकर देने बाबत कहा और धमकी दी कि अगर ना लाए तो औरों को भी ऐसे ही उठाएंगे जिसपर चेयरमैन कह रहा है कि इनके पास कोई कट्टा नहीं है इसको नाजायज फंसाया जा रहा है हम वहीं थाना में आते हैं व चरणसिंह कह रहा है कि मेरी क्यों देही तुडवाओ मेरी जान बचालो। मुलाजिमों ने थाना में ही प्रेम व काले के सामने भारी टॉर्चर किया व बेइज्जती की। हमारे व चरणसिंह के गांव गढी श्याम के कई वीरेन्द्र चेयरमैन व अन्य मौजिज व्यक्तियों को लेकर थाना में गए तो हमें भी कट्टा लाकर देने बाबत कहते रहे। हमारे मना करने पर कि हमारे कुछ भी नहीं है तो अपने पास से कट्टा लगाकर उसका चालान कर दिया।

राकेश एच सी 26 की शिकायत 6:15 पी एम पुलिस ने उपरोक्त एफ.आई.आर. 528/21 में 8:00 पी एम उसकी गिरफतारी 8:45 पर सिवाह साईड से पैदल आते हुए डाढौला नाका पर दिखाई है व कट्टा जेब से ही मौका पर बरामद दर्शाया है जिससे साबित होता है कि उपरोक्त दर्ज की गई एफ.आई.आर झूठी व बेबुनियाद है तथा उपरोक्त प्रेम ने पुलिस से सांठ–गांठ करते हुए जान बूझकर ये मुकदमा चरणसिंह के खिलाफ साजिश व रंजिश के तहत दर्ज करवाया है। जबकि उपरोक्त घटनाक्रम की भी कुछ सी.सी.टी.वी. फुटेज हमारे पास है। हमने इसकी शिकायत डी.एस.पी. एस.पी. व सी.एम. विंडों नं. 108157 तिथि 22/11/21 दी थी कि प्रेम ने साथ जाकर चरणसिंह को उठवाया व टॉर्चर कराया है जिसमें सीनियर पर्सन ने रिपोर्ट में लिखा है कि मैंने खुद सी. आई.ए.–3 इंचार्ज से फोन पर बात की थी जिसमें बताया गया था कि केस नं. 760/21 में उठाया है जांच करके छोड देंगे बाद में आर्म्स एक्ट में झूठा केस दर्ज कर दिया। 25/11 को जमानत होते ही हमने डॉक्टरी कराकर एम.एल.आर. नं. 1447 (एन.आई.टी./पी.एन.पी. 2021) कराई थी। इस मामले की निष्पक्ष जांच करने हेतु भी मैंने पहले एस.पी. साहब को एक दरखास्त दिनांक 29.11.2021 पेशी न. 1585 दी थी। जिसको जनाब ने ही ए.एस.पी. श्री विजय कुमार को मार्क किया था। जिस पर जांच करते हुए ए.एस.पी. श्री विजय कुमार ने गोदाम पर मौजूद व्यक्तियों के ब्यान दर्ज किये व उपरोक्त सी.सी.टी.वी. फुटेज को कब्जा पुलिस लेते हुए शामिल जांच किया जिसमें प्रेम व धर्मवीर 06/12/2021 ब्यानों में कह रहे है कि हमें अब पता चला कि चरणसिंह का आर्म्स एक्ट में केस दर्ज हुआ है। मैंने इनके खिलाफ केस 760/21 दर्ज करा रखा उससे बचने के लिए मेरी मेरे लडके व पुलिस की झूठी दरखास्त दी है। इस केस बारे हमें कुछ पता नहीं है। जांच के दौरान ही चरणसिंह के भाई जसवंत को भी उसके घर से उठाकर तिथि 24/12/21 को बच्चों व औरतों को चोट मारी व गलत चालान कर दिया व बरामदगी ना हुई तो बार बार उसपर शिकायत ना करने का दबाव बनाया जबकि उसके पास कभी भी कुछ था ही नहीं। जबकि 21/5/22 को सी.आई.ए. मुलाजिम राकेश–26 ने डी.एस.पी. गुहला की जांच नं. एच.एम./पी/सी.आर 54 व 57 तिथि 11 व 13/4/22 में अपने ब्यानों में माना है कि मुखबर खास जो बार बार मुझसे मुखबरी बारे बात कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि यह प्रेम है उसका मो० नं0 9813826680 है जोकि प्रेम का है। उठवाते समय विडियो में भी प्रेम मुलाजिमों के साथ है व 7/4/22 कमांक 4145 शाखा 4 व 28/4/22 कमांक 4715 शाखा 4 गुप्तचर विभाग पंचकूला की जांच रिपोर्ट में एसपी साहब ने लिखा है कि इस केस में प्रेम व धर्मवीर उर्फ काला का कोई संबंध नहीं है जबकि इन सबूतों से साबित होता है कि ये दोनों इसमें शामिल थे। डी.एस.पी साहब गुहला ने सभी की कॉल डिटेल भी निकलवा ली थी उसमें सी. आई.ए–3 इंचार्ज 7056000402, स्टाफ इंचार्ज चांदनी बाग 7056000116, प्रेम 9813826680 आजाद 9991800116, रिशिपाल डाढौला 9896111072 व धर्मबीर उर्फ काला 8397040044 व अन्य की डिटेल मिलाई जाए। डी. एस.पी. गुहला द्वारा जांच के लिए बुलाने पर 19/4/2022 को करीब 25 मौके के गवाह डी.एस.पी. दफतर गुहला गए थे। सबकी सुनने के बाद डी.एस.पी. साहब ने मौका पर आने के लिए बोला था जिसमें 10/5/2022 को साहब मौका पर आये और सभी गवाहों के व्यान और सी.सी.टी.वी. फुटेज आदि ले गए। 21/5/2022 को दुबारा दफतर बुलाए गए। हम करीब 20 व्यक्ति वहां पहुंचे। वहां पहुंचने पर सी.आई. ए–३ इंचार्ज व अन्य मुलाजिम वहीं मौका पर मौजूद थे। वहां उन्होंने डी.एस.पी. साहब व हम सबके सामने फैसले का दबाव बनाया व अपना गुनाह कबूल करते हुए एस.एच.ओ. श्री अनिल छिल्लर व अन्य ने कहा था कि शिकायत वापिस ले लो आगे भी कार्यवाही ना करना हम लडको को बरी करा देंगे व बदमाशों के खिलाफ भी केस दर्ज करा देंगे। आगे कैसा भी केस लेकर आ जाना हम हल करा देंगे व कहा था कि हमसे गलती हुई है प्रेम के गुमराह करने पर ही हमने चरणसिंह को उठाया। चरणसिंह के पास कोई कट्टा ना मिला तो फिर हमने प्रेम को फोन करके बुलाया। प्रेम के कहने पर ज्यादा पिटाई करने के कारण इस डर से कहीं डॉक्टरी कराकर हमारे खिलाफ कार्यवाही ना कर दें इसलिए अपने पास से ही कट्टा लगाकर चालान किया था। इस जांच की रिपोर्ट में डी.एस.पी. साहब ने कुछ न्याय करते हुए कुछ सच्चाईयां मान ली और Procedural Lapse बताया गया है लेकिन मुलाजिमों को बचाते हुए लिख दिया कि केस 760/21 में प्रेम ने कहा था कि चरणसिंह ने मेरे मुंह पर कट्टा का बट मारा इसलिए कट्टा से इंकार नहीं किया जा सकता प्रेम ने तो केस नं0 0282/21 में भी उसपर कट्टा से गोली चलाने ब्यान किया है जबकि पुलिस ने जांच में कट्टा ना होने व गोली ना चलने की पुष्टि की है व फोन पर दूसरा कट्टा मांगने बारे बातचीत होना बताकर मुलाजिमों को बचाने की कोशिश करते हुए लीपापोती कर दी। केस नं0 760

चालान कॉपी हमें 7/8/22 में मिली जिसमें चरणसिंह से कुछ बरामद ना हुआ व साफ लिखा है कि चरणसिंह के पास लाठी डंडा कट्टा कुछ भी ना था। जबकि ए.एस.पी. श्री विजय सिंह जी 26–27 PD 03/01/2022/88HM 08/02/2022 व अन्य की जांच में किसी भी मुलाजिम के ब्यानों में व जांच रिपोर्ट में दूसरा कट्टा होने बारे जिक तक ना है और डी.एस.पी. गुहला की जांच के ब्यानों में सभी ने दूसरे कट्टा का जिक्र किया है क्योंकि कॉल डिटेल निकलवाई गई तो उसमें मुलाजिम बार बार कट्टा मांग रहे हैं। मुलाजिमों ने अपने ब्यानों में लिखा है कि चरणसिंह रात को गोदाम पर ही अकेला रहता था जहां से उठाया था इसलिए कट्टा रखता था जोकि बिल्कुल झूठ है ये हमारे पास हमारे घर पर ही रहता था बल्कि आज तक हम भी वहां रात को ना रहे ना सोए वहां दौ फैक्ट्री हैं और उनमें काम करने वाले सैंकडों परिवार वही लेबर रूम में रहते हैं व वहीं सोते हैं जोकि गोदाम के बिल्कुल साथ में और सामने हैं। इसी की एवज में केस को उलझाने के लिए दोनों जगह अलग अलग ब्यान दे रहे हैं। 20/3/22 को भी दबाव बनाने के लिए चरणसिंह को दोबारा उसके गांव से उठाने गए थे जोकि वहां नहीं मिला फिर फोन पर धमकी दी। क्योंकि पुलिस के डर से सात माह तक घर ही ना रहे।

जनाब से प्रार्थना है कि इनके परिवार में किसी सदस्य के खिलाफ आज तक थाना में कोई शिकायत तक ना है। अपनी खेतीबाडी करके साधारण जीवन जीते हैं। इनको पैसों के बल पर नाजायज फंसाकर बेइज्जती व भारी टॉर्चर किया गया। सिर्फ केस 528/21 में ही दी ही जगह दोनों तरफ से ब्यान गवाह व सबूत शामिल जांच किए गए। हमने जगह जगह अनेकों दरखास्तें दे लीं हमारे ब्यान सबूत तो लिए लेकिन आज तक न्याय नहीं मिल पाया। रिपोर्ट में ठोस सबूत नहीं मिले और जांच की जरूरत नहीं लिखकर दोषी मुलाजिमों को बचाया जा रहा है। एस.आई.टी. घरौंडा व अन्य कई जांचों में हमारे द्वारा दिए गए ब्यान, विडियो, फोटो, पैनड्राइव व अन्य सबूतों का हवाला नहीं दिया और हमारे द्वारा आर.टी.आई. लगाने व अपील करने पर भी आज तक चश्मदीद गवाहों व हमारे द्वारा दिए गए सैल्फ ब्यान हल्फिया व अन्य दिये गये काफी सबूतों व दूसरी पार्टी द्वारा दिए गए व्यानों सबूतों में से कुछ भी ना दिया।

भवदीय

हस्ता

श्यामलाल रावल पूर्व सरपंच गांव उझा
तहसील बापौली हल्का समालखा व
उपाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद पानीपत।

The Petition/Representation was placed before the Committee in its meeting held on 20.05.2025 and the Committee desired that comments/reply of the concerned Department may be obtained within 10 days. The Committee orally examined the representatives of the concerned department & petitioner in its meeting held on 15.07.2025. the concerned department send a detailed reply to the Committee on 14.07.2025, which reads as under: -

सेवा में,

अवर सचिव,

हरियाणा विधानसभा,

चण्डीगढ़।

विषयः– श्री श्यामलाल रावल पुत्र श्री करता राम निवासी गांव उझा तहसील बापौली, जिला पानीपत द्वारा प्रस्तुत पुलिस मुलाजिमों द्वारा सैटिंग कर बनाये गए झूठे केस नं0 760 तिथि 15/11/21 व आर्मएक्ट केस नं0 528 तिथि 20/11/21 की जांच करवाने संबंधित याचिका/ अभ्यावेदन के बारे में।

1. अभियोग संख्या 760 दिनांक 15.11.2021 धारा 148/149/323/325/506 भा०द०स० थाना चान्दनी बाग, पानीपत।

दिनांक 08.11.2021 को शिकायतकर्ता प्रेम सिहं पुत्र करता राम वासी गांव उझा पानीपत ने बरखिलाफ 1. श्याम लाल पुत्र श्री करता राम 2 सतबीर 3 सुनील पुत्रगण श्याम लाल 4 हिमांशु उर्फ मिन्टू पुत्र सतबीर निवासी गांव उझा तह० बापौली जिला पानीपत 5 चरणा पुत्र नामालूम निवासी गांव शामगढी जिला शामली उ०प० व अन्य 4/5 नामालूम दी कि मैं प्रेम सिंह पुत्र श्री करता राम निवासी गांव उझा तह० बापौली जिला पानीपत का रहने वाला हूं और मैं सहकारिता विभाग से निरीक्षक के पद से सेवानिवृत हूं। जो कि अब सेवानिवृत्ति के बाद खेतीबाडी का काम करता हूं। यह है कि हम चार भाई है जो कि भाई बटंवारा के हिसाब से अपने–अपने हिस्से की जमीन काश्त कर रहे हैं और हमारी जमीन का कुछ भाग सिवाह से उत्तर प्रदेश जाने वाले हाईवे के लिये अधिग्रहण हुआ है जिसका मुआवजा हम सभी भाईयों को मिल चुका है लेकिन ट्यूबवैल व कोठा तथा पेड़ पौधों का मुआवजा लगभग 05 लाख रू० दोषी न० 1 श्याम लाल सम्बन्धित राजस्व विभाग की मिलीभगत से ले गया और उक्त 05 लाख रू० में से एक भी पैसा मुझे व किसी दूसरे हिस्सेदार को नहीं दिया जो कि हमारे द्वारा उक्त मुआवजा में हिस्सा मांगने पर उक्त दोषी न० 1 श्याम लाल नाराज हो गया और मुझसे रंजिश रखने लगा और अपनी इसी रंजिश को अंजाम देने के लिये उपरोक्त सभी दोषीगण ने आपस में मिलीभगत करके लाठी, डण्डे, गंडासे, चाकू व अवैध असला से लैस होकर मेरे खेत में काम कर रहे मजदूरों को डरा धमका कर भगा दिया और मेरे ट्रैक्टर ट्राली को भी रोक लिया और मुझे जान से मारने की धमकी दी। जिस सम्बन्ध में मैनें दिनांक 06.11.2021 को थाना चांदनी बाग, पानीपत में दरखास्त दी और अपनी जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई। मेरे द्वारा उपरोक्त दोषीगण के खिलाफ थाना चांदनी बाग में दी गई शिकायत का पता चलने पर उक्त दोषीगण ओर ज्यादा उग्र हो गये और दिनांक 07.11.2021 को दिन के लगभग 11.30 बजे में अपने पुत्र व अन्य मजदूरों के साथ अपने खेत में ट्रैक्टर ट्राली में जीरी की फसल लोड करवा रहा था तो इतने में उक्त दोषी न० 1 श्याम लाल ने अपने हाथ में ली लाठी का वार मुझपर किया और मजा चखाने की धमकी दी और दोषी न० 2 सतबीर ने अपने हाथ में लिये चाकू का वार मुझपर किया जो कि चाकू मैंने पकड़ लिया और इसके बार उक्त दोषी सतबीर ने मेरे मुंह पर मुक्का मारा जिससे निचले जबडे का एक दांत टूट गया और चाकू बाये हाथ में लगा और दोषी न० 3 सुनील ने अपने हाथ में लिये गंडासे का वार मेरे पुत्र पर किया जो कि मेरा पुत्र बाल–बाल बच गया और भाग गया और दोषी न० 4 ने मेरे भागते पुत्र के पैर पर लाठी का वार किया जिस कारण उसके पैर में फैक्चर आ गया और दोषी न० 5 चरणा ने अपने हाथ में अवैध असला को लहराते हुए मेरी आंख पर बट मारा और मुझे व मेरे बेटे को 4/5 नामालूम आदमी जो कि उत्तर प्रदेश के बदमाश किस्म के लोगों ने थप्पड़ लात घूसों से मारा पीटा और हमें जान से मारने की धमकी देते हुए अपने हाथों में लिये अवैध असला भी दिखाये और धमकी दी कि अगर आइन्दा खेत में नजर आये या हमें रास्ते में मिले तो जान से मार देंगे। जो कि इतने में डॉयल 112 में आये पुलिस कर्मचारियों ने मुझे व मेरे पुत्र को उनके चंगुल से बचाया और उक्त दोषीगण से मुझे व मेरे बच्चे को जान–माल का खतरा बना हुआ है और वो किसी भी समय कहीं भी जान–माल का नुक्सान पहुंचा सकते है और उनकी धमकियों की वजह से मैं अपने खेत में पड़ी 25 एकड की जीरी की फसल को नहीं ला पा रहा हूँ। यह है कि मैनें व अपने पुत्र का सरकारी हस्पताल पानीपत से डाक्टरी परीक्षण करवाया। जो एमएलआर न० PM/1896/PNP 2021 PM/1897/ PNP 2021 DATED 7–11–2021 की कॉपी दरखास्त के साथ सलग्न की गई। मेरे पुत्र का अभी भी इलाज चल रहा है और हस्पताल में दाखिल है। अतः जनाब से प्रार्थना है कि उपरोक्त दोषीगण के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करते हुए मेरी व मेरे परिवार के अन्य सदस्यों की जान माल की सुरक्षा की जाये। जिस पर अभियोग संख्या 760 दिनांक 15.11.2021 धारा 148/149/323/325/506 भा०द०स० थाना चांदनी बाग, पानीपत दर्ज रजिस्टर किया जाकर तफतीश अमल में लाई गई।

दौराने तफतीश मौका मुलाहजा करके नक्शा मौका नजरी तैयार किया गया। दिनांक 15.11.2021 को X-RAY व डेंटल राय को कब्जा पुलिस में लिया गया। गवाहान ब्यान अंकित किये गये। दिनांक 24.11.2021 को आरोपियान सुनील पुत्र श्याम लाल निवासी गांव उझा तह० बापौली जिला पानीपत व सतबीर पुत्र श्यामलाल निवासी गांव उझा तह० बापौली जिला पानीपत के खिलाफ सबुत काबले गिरफ्तारी गुजरने पर विधि अनुसार गिरफ्तार किया गया। आरोपियान के फर्द ईन्कशाफ अंकित किये गये। मौका घटना स्थल की निशानदेही कराई गई व ब्यानात गवाहान लिखे गये। दिनांक 27.11.2021 को श्री सन्दीप कुमार उप पुलिस अधीक्षक, यातायात

पानीपत द्वारा मौका घटना स्थल पर पहुंच कर आजाद पुत्र प्रेम के द्वारा गोली चलाने बारे तसदीक तफतीश की गई। गोली चलाने बारे आरोप निराधार पाये गये। दिनांक 08.12.2021 को श्याम लाल पुत्र श्री करता राम निवासी गांव उझा तह० बापोली जिला पानीपत व चरण सिंह उर्फ चरणा पुत्र साधु राम वासी गढी श्याम जिला शामली हाल गांव उझा पानीपत को विधी अनुसार गिरफ्तार किया गया। आरोपियान के फर्द ईन्कशाफ अंकित किये गये। मौका घटना स्थल की निशान देही कराई गई व ब्यानात गवाहान अंकित किए गये। दिनांक 14.01. 2022 को श्रीमती पूजा वशिष्ठ, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पानीपत दवारा तसदीक तफतीश की गई। जो हिमांशु व अन्य के खिलाफ कोई साक्ष्य सफा मिशल पर नहीं आये है अभियोग में धारा 148, 149 IPC तर्क की गई व धारा 34 IPC ईजाद की गई। दिनांक 27.01.2022 को मजरुब आजाद पुत्र प्रेम सिंह की चोटों बारे डॉक्टर साहब से राय हासिल की गई। जो डॉक्टर साहब ने Simple and Blunt चोट तहरीर की है अभियोग की तकमील तफतीश पूर्ण होने उपरान्त आरोपियान सुनील, सतबीर, श्याम लाल, चरण सिंह के खिलाफ चालान तैयार करके दिनांक 24.02.2022 को माननीय न्यायालय में दिया जा चुका है। अभियोग विचाराधीन न्यायालय है जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 06.08.2025 for Appereance के लिए लगी हुई है।

2. अभियोग संख्या 528 दिनांक 20.11.2021 धारा 25 (1) बी०ए० शस्त्र अधिनियम थाना ओद्यौगिक सैक्टर–29, पानीपत।

दिनांक 20.11.2021 को मुख्य सिपाही राकेश को मुखबर खास से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति चरण सिंह उर्फ चरणा पुत्र साधुराम गाँव सिवाह पानीपत की तरफ से चौटाला रोड से आ रहा है। जिसके पास अवैध पिस्तौल है। मुख्य सिपाही राकेश अपने साथियों के साथ चौटाला रोड डाडौला चौक पर नाका बंदी की जो कुछ ही समय बाद गांव सिवाह की तरफ से एक व्यक्ति आता दिखाई दिया। नाका पर तैनात पुलिस कर्मचारियों ने साथी मुलाजमान की मदद से उपरोक्त व्यक्ति को काबू करके नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम चरण सिंह उर्फ चरणा पुत्र साधु राम वासी गढी श्याम थाना काधला जिला शामली UP हाल किरायेदार गाँव उझा पानीपत बतलाया। उपरोक्त की जामा तलाशी विधि अनुसार अमल में लाई। चरण सिंह की पहनी हुई पैट की दाहिनी जेब से एक पिस्तौल देशी 12 बोर बरामद हुआ। पुलिस कर्मचारी के मांगने पर चरण सिंह कोई लाईसैस व परमिट पेश नहीं कर सका। बरामदा पिस्तौल देशी 12 बोर को खोलकर चैक किया तो अनलोड पाया। पुलिस कर्मचारियों ने बरामदा पिस्तौल देशी 12 बोर की पैमाईश की तो बैरल की लम्बाई 24.5 CM व बट की लम्बाई 12.5 CM व बॉडी की लम्बाई 12.4 CM हुई। पिस्तौल के उपर हेमर व नीचे ऑपनर व ट्राईगर लगा हुआ है। बट के दोनों तरफ लकडी की फटियां जुडी हुई है व दोनों लकडी की फटियों पर काले रंग का पेंट किया हुआ है बरामदा पिस्तील देशी 12 बोर का मुख्य सिपाही राकेश ने अपने मोबाईल फोन से दोनों तरफ फोटो लिया। बरामदा पिस्तौल देशी 12 बोर का खाका तैयार किया गया। जिसकी फर्द बरामदगी तैयार करके आरोपी चरण सिंह व गवाहन ने अपने 2 हस्ताक्षर किये। आरोपी चरण सिंह उर्फ चरणा ने अपने कब्जे में पिस्तौल देशी 12 बोर अवैध तरीके से रखकर जुर्म जैर धारा 25 (1) BA Arms Act का किया जाने पर अभियोग संख्या 528 दिनांक 20.11.2021 धारा 25 (1) बी०ए० शस्त्र अधिनियम थाना औद्योगिक सैक्टर–29, पानीपत दर्ज रजिस्टर किया जाकर तफतीश अमल में लाई गई।

दौराने तफतीश आरोपी के खिलाफ सबूत काबिले गिरफ्तारी सफा मिशल पर गुजरने पर विधि अनुसार गिरफ्तार किया गया। आरोपी चरण सिंह उपरोक्त की जामा तलाशी अमल में लाई गई। आरोपी से 89 हजार रुपये जामा तलाशी में बरामद हुए। जिसको फर्द द्वारा कब्जा पुलिस में लिया गया। दिनांक 21.11.2021 को आरोपी का फर्द इन्कसाफ अंकित किया गया। दिनांक 21.11.2021 को आरोपी चरण सिंह उपरोक्त को पेश अदालतं किया जाकर बन्द जुडिशियल जेल किया गया। दिनांक 24.12.2021 को आरोपी जसवन्त पुत्र साधु राम वासी गाँव गढी श्याम थाना कांधला जिला शामली UP को शामिल तफतीश किया गया। आरोपी जसवन्त उपरोक्त के खिलाफ सबूत काबिले गिरफ्तारी सफा मिशल पर गुजरने पर विधि अनुसार गिरफ्तार किया गया। आरोपी का फर्द इन्कसाफ अंकित किया गया। अभियोग में धारा 29 Arms Act ईजाद की गई। दिनांक 25.12. 2021 को आरोपी जसवन्त उपरोक्त को पेश अदालत किया जाकर बन्द जुडिशियल जेल किया गया। अभियोग की तकमील तफतीश पूर्ण होने उपरान्त आरोपीयान चरण सिंह चरणा पुत्र साधु राम वासी गढी श्याम थाना

कांधला जिला शामली UP व जसवन्त पुत्र साधु राम वासी गाँव गढ़ी श्याम थाना कांधला जिला शामली UP के खिलाफ चालान तैयार करके दिनांक 25.02.2022 को माननीय न्यायालय में दिया जा चुका है। अभियोग विचाराधीन न्यायालय है जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 16.10.2025 for Prosecution Evidence के लिए लगी हुई है।

नोटः– इसके अतिरिक्त याचिकाकर्ता श्री श्याम लाल रावल (पूर्व सरपंच) पुत्र करता राम गांव उझा तहसील बापौली जिला पानीपत व प्रेम सिंह पुत्र करता राम वासी गांव उझा तहसील बापौली जिला पानीपत आपस में सगे भाई है। जिनकी गांव उझा की खेत की जमीन सरकार द्वारा पानीपत से शामली नैशनल हाईवे न० 709–ए०डी० में अधिग्रहण करने पर दोनों भाईयों का जमीन व पैसों के बटवारे को लेकर कॉफी समय से विवाद चल रहा है। जो दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ शिकायत देते रहते है। याचिकाकर्ता श्याम लाल रावल ने अपने भाई प्रेम सिंह रावल के खिलाफ जिला पानीपत में 31 शिकायतें व 04 अभियोग दर्ज रजिस्टर करवाए हुए है व एक सिविल सूट न० Comi/196/2022 (Syamlal Vs Prem Rawal) NDH-24/09/2025 माननीय न्यायालय में डाला हुआ है। इसी प्रकार याचिकाकर्ता के भाई प्रेम सिंह रावल ने अपने भाई याचिकाकर्ता श्याम लाल रावल के खिलाफ जिला पानीपत में 38 शिकायतें व 04 अभियोग दर्ज रजिस्टर करवाए हुए है व एक सिविल सूट न० Comi/239/2022 (Prem Vs Satbir s/o Syamlal) NDH-25/08/2025 माननीय न्यायालय में डाला हुआ है तथा एक CRM-M 27757 of 2025 Prem Singh Rawal Vs State of Haryana माननीय उच्च न्यायालय, चण्डीगढ में डाली हुई है। माननीय उच्च न्यायालय, चण्डीगढ द्वारा याचिका को दिनांक 20.05.2025 को डिस्पोज ऑफ करके स्पीकिंग आदेश करने बारे आदेश दिए गए। पुलिस अधीक्षक, पानीपत कार्यालय के पत्र कमांक 29005–06 दिनांक 20.06.2025 के अनुसार स्पीकिंग आदेश जारी किए गए।

हस्ता
अधीक्षक
कृतेः पुलिस महानिदेशक,
हरियाणा।

After discussion, the departmental representatives informed to the Committee that the matter is sub-judice. The Committee satisfied and petition/representation is disposed off accordingly in its meeting held on 15.07.2025.

4. PETITION/REPRESENTATION RECEIVED FROM SHRI JAGAT SINGH S/O LATE SHRI INDER SINGH VILLAGE BARHANA DISTRICT JHAJJAR REGARDING COMPLAINT OF ELECTRICITY BILL., WHICH READS AS UNDER: -

सेवा में

चेयरमैन पैटीशन कमेटी,
हरियाणा विधानसभा सचिवालय,
चण्डीगढ़।

विषयः– कनेक्शन हटवाने के बावजूद बिजली विभाग द्वारा दिया गया बिल माफ करवाने बारे।

श्रीमान जी,

निवेदन यह है कि मेरी आयु 73 वर्ष से अधिक की है तथा मैं दिल्ली सरकार से रिटायर्ड प्राध्यापक हुं। और नजफगढ़ दिल्ली का निवासी हुं। मेरे पिताजी गांव बरहाना, झज्जर में रहते थे मैं समय समय पर अपने

गांव में पिताजी के पास आता जाता रहता था। लेकिन मेरे पिताजी का देंहात दिनांक 07.11.2007 को हो गया था इसके दो महीने बाद ही संबधित विद्युत कार्यालय सांपला, रोहतक से प्रार्थना की थी कि अब मेरे घर में कोई भी व्यक्ति नही रहता। अतः आप मेरे घर का विद्युत क्नेक्शन हटा दें या प्रतिमाह एक रूपया ले क्योकि उस समय हरियाणा विद्युत बोर्ड का नियम था कि जिन व्यक्तियों के घर बंद रहते हैं तथा उन्होने स्वयमं विद्युत मीटर खरीदा है तो उनसे केवल एक रूपया प्रति माह वसूल किया जायेगा। इस विषय पर एक वर्ष तक कोई कार्यवाही न हो पाई तथा बिजली का कोई उपयोग न होने के बाद भी बिजली का बिल हर दो महीने बाद आता रहा। इसके बाद मैंने फिर संबधित अधिकारियों से मिलकर दोबारा प्रार्थना की तो मुझे बताया गया कि आप बकाया बिजली का बिल भर दें तभी आपका कनेक्शन हटाया जायेगा। मैनें उनके आदेश पर जो भी बकाया बिल था वो भर दिया तथा लिखित रूप में पुनः दिनांक 18.05.2009 को प्रार्थना की कि अब मेरा कनेक्शन हटा दें। इसके बाद मैनें गांव के लाइनमैन को भी इस बारे में बताया तो उन्होने बिजली का कनेक्शन हटा दिया तथा इसके बाद बिजली का बिल भी आना बंद हो गया।

इसके बाद वर्ष 2022 में मैंने घर में कुछ मरम्मत का कार्य शुरू किया तो उसी समय बिजली विभाग के व्यक्ति गांव के बाहर मीटर लगा रहें थे। वे कर्मचारी एक दिन मेरे पास भी आये तथा कहा कि अब आपका मीटर बाहर लगेगा तथा आपको दोबार कनेक्शन दे दिया जायेगा। इस बारे मैंने उन्हे कहा कि अब आप इस कनेक्शन को मेरे लड़कें अतुल कुमार के नाम कर दें तो उन्होने अपने रजिस्टर में कार्यवाही करके घर के बाहर मीटर लगा दिया।

इसके कुछ दिन बाद मुझे परिवार वालों से पता लगा कि आपका बिजली का बिल 80542/— रूपये आया हुआ है। यह जानकर मुझे थोडा आश्चर्य हुआ क्योकि 15 वर्ष तक मैनें एक भी बिजली की यूनिट खर्च नही कि तथा मेरा कनेक्शन भी हटा दिया गया था। इसके लिए मैं, दोबारा विद्युत कार्यालय सांपला, रोहतक में गया तो मुझे बताया गया कि आपके घर में मीटर को उखाड़ा नही गया है अतः यह बिल आपको भरना ही होगा। सर इसमें मेरा कहना है कि जब घर बंद था और मेरी एप्लीकेशन के पश्चात् बिजली का कनेक्शन हटा दिया गया था और बाद बिजली का बिल आना भी बंद हो गया था। मीटर को उखाड़ कर ले जाना तो विभाग का ही दायित्व बनता था।

जब 15 वर्षा तक बिजली की एक भी यूनिट न खर्च की गई हो तथा कनेक्शन भी हटवाया हुआ हो तो ये बिल किस आधार पर बनाया गया है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरा पिछला उपरोक्त बिल माफ किया जाये तथा जब से मीटर बाहर लगा है और दोबारा कनेक्शन लिया गया है केवल तभी से बिजली के बिल का पैसा लिया जाये जिसके लिए मैं तैयार हुं।

अतः आपसे पुनः प्रार्थना है कि मेरी समस्या को प्राथमिकता देकर विभाग को आदेश दे कि इस समस्या को दूर करें। मैं शारीरिक रूप से भी अस्वस्थ रहता हुं तथा इस प्रकार की लंबित समस्या मुझे परेशान करती रहती है।

धन्यवाद सहित।

प्रार्थी

हस्ता

जगत सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री इन्द्र सिंह

गांव बरहाना, जिला झज्जर।

The Petition/Representation was placed before the Committee in its meeting held on 03.06.2025 and the Committee desired that comments/reply of the concerned department may be obtained within a period of 10 days. The reply was received from the concerned department, which reads as under: -

To

The Secretary,
Haryana Vidhan Sabha,
Secretariat, Chandigarh.

Sub:- Meeting of Petitions Committee on 12.08.2025 at 12:10 PM at Committee Room, Haryana Vidhan Sabha.

This is with reference to Haryana Vidhan Sabha letter office letter No. H.V.S/Petitions/2/2025-26/13978-88 dated 06.08.2025, vide which the complaint made by Sh. Jagat Singh for waiver of electricity bill, which was not disconnected inspite of request for disconnection, was received. The detailed reply submitted by field offices are attached as Annexure-I and the brief of the same is given as under

(i) There is no request of disconnection made by consumer in 2009 in record of sub-division.

(ii) The bill of the consumer was raised on premises locked (PL) basis since 2008, as the consumer is not residing in the village and house is locked since 2008.

(iii) The meter was installed inside the house in 2008 and consumer stopped paying bills on premises locked (PL) basis.

(iv) In 2022, under Mhara Gaon Jagmag Gaon scheme, the old meter was replaced with new meter on 15.07.2022 and installed on pole.

(v) Consumer again submitted for bill correction and under surcharge waiver scheme, the bill was corrected.

(vi) The correct bill of Rs. 22,770/- was paid by consumer on 09.04.2025.

(vii) The applicant on 07.08.2025 comes to UHBVN office and current bill of Rs.1147/- has also been deposited.

This is for kind information please.

-Sd-
(Rajesh Arora)
SE (Monitoring)
UHBVN, Panchkula.

The Committee orally examined the representatives of the concerned department in its meeting held on 12.08.2025. The Departmental representative informed, matter is resolved, the Committee has satisfied with the department and decided that the petition/representation is disposed off accordingly.

5. PETITION/REPRESENTATION RECEIVED FROM SHRI SATBIR SINGH, VILLAGE PAHALADGARH DISTRICT BHIWANI & OTHERS. REGARDING ILLEGAL CUTTING OF TREES FROM GRAM PANCHAYAT LAND., WHICH READS AS UNDER: -

सेवा में,

माानननीय चेयरमैन

याचिका समिति, हरियाणा विधानसभा,

चण्डीगढ़।

श्रीमान जी

हम ग्रामवासी पहलादगढ़ जिनके द्वारा दिनांक 24.7.2024 को बीडीपीओ एवं डीएफओ साहब को एक लिखित शिकायत दी थी जिसमें ग्राम पंचायत पहलादगढ़ के सरपंच, सरपंच प्रतिनिधि संदीप एवं सुरेंद्र पुत्र माडूराम जो की ग्राम पंचायत पहलादगढ़ की जमीन से जहां पूर्व में एक जोहड़ी होती थी, वहां पर एक एसटीपी टैंक बन रहा था जिसमें 41 पेड़ की परमिशन ग्राम पंचायत को मिली थी जिन्हें ठेकेदार बलजीत 24/07/2024 से लगभग 3 महीने पूर्व ही काट चुके था। सम्बंधित स्थान से काफी संख्या में हरे पेड़ खड़े थे परंतु सम्बन्धित व्यक्तियों ओर बीडीपीओ ओर ग्राम सचिव की मिलीभगत से उपरोक्त सरपंच, सरपंच प्रतिनिधि संदीप एवं सुरेंद्र पुत्र माडूराम ने चोरी की नियत से इन सभी अवैध हरे पेड़ों को कटाई करनी शुरू कर दी जिस का पता लगने पर मौके पर ग्रामवासी पहुंचे और उन्होंने इसका विरोध किया जिस पर उपरोक्त तीनों व्यक्तियों ने कहा कि इन पेड़ों की कटाई की परमिशन उनके पास है जिस पर मौके पर ग्रामीणों ने बीडीपीओ, डीएफओ ग्राम सचिव, रेंजर, और डायल 112 बुलाकर कटाई रुकवाई । उस समय तक लगभग 18 अवैध हरे पेड़ तीनों व्यक्ति कटाई कर चुके थे। मौके पर जांच में पाया कि ये सभी अवैध हरे पेड़ है और इनकी कोई परमिशन नहीं थी। जब ग्रामीणों ने मौके पर कार्यवाही की कही तो अधिकारियों ने मौके पर ही पर्चा दर्ज करने को कहा पर उनके जाते ही ग्राम सचिव ने गांव में ही ट्राली खाली करवा दी। जब ग्राम वासियों के द्वारा पाया गया की वीडियो एवं ग्राम सचिव मामले को दबा रहे हैं तब दिनांक 26/7/2024 को सभी ग्रामवासी माननीय डीसी साहब से मिले और कार्रवाई की मांग करी जिस पर माननीय डीसी साहब ने आश्वासन दिया कि वह इस मामले की पूरी जांच करवाएंगे जिस पर उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन देकर वापस भेज दिया। दिनांक 29.7.2024 को जब ग्राम वासी दोबारा से डीएफओ एवं मान्य डीसी साहब से मिले तब उन्होंने 8 पेड़ों की एक ग्रंथ की जांच की सूची पकड़ा दी जिसमें केवल 8 पेड़ ऊपर वाले लिखे हुए थे एवं नीचे के सभी पेड़ों को छोटे एवं सूखे दर्शाया गया और उनकी कोई जांच जो मौके पर दी गई थी वो जांच नहीं दी गई। इस बारे में ग्रामीणों में जब भारी रोष हुआ तब सभी ग्रामीण चंडीगढ़ अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक हरियाणा पंचकूला पहुंचे एवं उन्होंने माननीय अतिरिक्त प्रधान जी से सच्चाई की जड़ तक पहुंचाने के लिए अपील करी जिस पर माननीय अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक के द्वारा माननीय नवल किशोर जी को इस जांच में मौके पर जाकर के निरीक्षण करने के लिए कहा एवं उन्होंने सभी ग्राम वासियों के साथ मिलकर के जांच की जिसमें लगभग 15 पेड़ों की साइज की पुष्टि उनकी मूडी से हो सकी क्योंकि उक्त दोषियों के द्वारा दो या तीन दिन तक लगातार रात को जेसीबी चला करके सभी जमीन को समतल कर दिया गया था एवं बाकी बचे हुए पेड़ों को काफी नीचे से निकलना असंभव था जिसके लिए जेसीबी की रात की चलती हुई वीडियो एवं फोटोस सभी हमारे पास पेन ड्राइव में सुरक्षित है जांच होने के बाद सभी ग्रामवासी माननीय वन विभाग के अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक से दोबारा से मिले जब मिले तो उन्होंने दिनांक 18 11.2024 को माननीय उपायुक्त महोदय भिवानी को इस जांच के आधार पर इन सभी संबंधित व्यक्तियों एवं अधिकारियों के द्वारा कोताही एवं लापरवाही बरतने और गोलमोल करके गुमराह करने का जो मामला बनाया गया था उस पर कार्यवाही करने के लिए लिखा। संबंधित पत्र जब माननीय उपायुक्त महोदय को प्राप्त हुआ तो उन्होंने बीडीपीओ साहब एवं डीडीपीओ साहब कार्यवाही करेंगे ऐसा आश्वासन दिया परंतु ग्रामीणों को पता चला कि उनके द्वारा केवल इनका हर्जाना भरवा करके इस मामले को बंद करने की कोशिश की जा

रही है। दिनांक 22 11.2024 को जब ग्रामवासी माननीय उपायुक्त महोदय से मिले तब उन्होंने कहा कि उक्त जांच की मैं एक बार दोबारा से एसडीएम साहब से जांच करवा रहा हूं, जब एसडीएम साहब की जांच प्राप्त हुई तो उस जांच में पता लगा कि माननीय नवल किशोर जी के द्वारा की गई जांच सही है परंतु इस जमीन प्लान 1900 की धारा 4 में 5 के अंतर्गत आने के कारण वन विभाग के द्वारा कार्रवाई नहीं करनी बनती है और उपायुक्त महोदय भिवानी के द्वारा कार्यवाही बनती है जिस पर उन्होंने बीडीपीओ एवं डीडीपीओ साहब को संबंधित व्यक्तियों के ऊपर कारवाई करने के आदेश दिए । उपरोक्त अधिकारियों के द्वारा कार्रवाई न करके वन विभाग को पत्र लिखा जिसमें उन पेड़ों की वैल्यूएशन करके और संबंधित सरपंच को बचाने के लिए बलजीत जो की पूर्व में ठेकेदार था एवं मौके पर उसके द्वारा किसी प्रकार की कोई कटाई नहीं करी गई थी एवं मामले को गोल–गोल करने के लिए बलजीत एवं सुरेंद्र पुत्र माडूराम के झूठे बयान दर्शा करके गुमराह करके केवल उन पेड़ों की राशि वसूलने का पत्र जारी कर दिया गया और मामले को खत्म कर दिया गया । इस मामले की सीएम विंडो दिनांक 3.9.2024 को लगाई गई जिस पर वन विभाग एवं बीडीपीओ विभाग के द्वारा कोई कार्यवाही ना करके उपरोक्त मामले को खत्म कर दिया । संबंधित विंडो पर शिकायतकर्ताओं के कोई भी हस्ताक्षर नहीं करवाए गये और ना ही कोई जांच करी गई। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से दिनांक 27.7.2024 को लिखित शिकायत संत कबीर कुटिया पर दी गई जिस पर उन्होंने आश्वासन दिया कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जिस बाबत वीरेंद्र कुमार एएसआई जो कि दिनांक 29.7.2024 को गांव में भी पहुंचा एवं उसने कहा कि मुझे किसी प्रकार का यदि कोई भी साक्षी मिलेगा तो मैं तुरंत मुकदमा दर्ज कर दूंगा जबकि उसके द्वारा भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई जबकि अब जांच होने के बाद भी उसे बार–बार जांच की संबंधित सभी पत्र भी दिए गए हैं। दिनांक 07.07.2025 माननीय उपायुक्त महोदय से सभी ग्राम वासियों के द्वारा दोबारा मिलकर कार्रवाई करने के लिए अपील की गई परंतु मामले को गोलमोल बनाए रखा। हम ग्रामवासी लगभग 1 साल से अब पर्यावरण को बचाने की मुहिम के लिए इन अवैध हरे पेड़ों को काटने वालों पर कार्रवाई की मांग के लिए दर–दर की ठोकर खा रहे हैं परंतु समस्त अधिकारियों की मिली भगत एवं मोटी राशि को गबन करने के लिए इस मामले को खत्म करने की कोशिश की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय से हमारी विनम्र विनती है कि इस मामले से संबंधित सभी कर्मचारियों पर, सभी अधिकारियों पर सरपंच एवं सरपंच प्रतिनिधि एवं चोरी करने वाले सुरेंद्र पुत्र माडूराम सभी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाने और मुकदमा दर्ज करवाने का कष्ट करे ताकि इस सजा के बाद पूर्व में हो रही इस तरह की घटनाओं को देखते हुए भविष्य में ऐसी कोई घटना ना घटे।

धन्यवाद

हस्ता
श्री सतबीर सिंह व अन्य गांव
पहलादगढ़, जिला भिवानी।

The Petition/Representation was placed before the Committee in its meeting held on 02.09.2025 and the Committee desired that comments/reply of the concerned Department may be obtained within 10 days.The Committee orally examined the departmental representatives and petitioner/applicant in its meeting held on 09.10.2025. The Committee observed that the representatives of the Development & Panchayats Department and Deputy Commissioner, Bhiwani also appear before the Committee in the next meeting. The next meeting of the Committee held on 04.11.2025. The Committee observed that the District Level authority give an opportunity of personal hearing to both the parties and resolve the matter at District level, and submit a report to the Committee. The Committee received its report, which reads as under: -

सेवा में

सचिव,

हरियाणा विधानसभा सचिवालय,

चंडीगढ़।

विषयः– याचिका समिति की बैठक बारे।

उपरोक्त विषय पर श्री सतबीर सिंह, गांव पहलादगढ़, जिला भिवानी व अन्य द्वारा प्रस्तुत ग्राम पंचायत की जमीन से पेडों की अवैध कटाई से संबंधित याचिका/अभ्यावेदन के बारे में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 2613–14 दिनांक 22–01–2026 द्वारा उपरोक्त बिन्दू न० 1 के संबंध में दो दिन के अन्दर–अन्दर विस्तृत रिपोर्ट उपायुक्त, भिवानी के माध्यम से इस विभाग को भिजवाने बारे अनुरोध किया गया था, ताकि याचिका समिति की बैठक दिनांक 03–02–2026 को इसका मौखिक परीक्षण किया जाना सम्भव हो सके। जिसके संबंध में उपायुक्त, भिवानी द्वारा उनके कार्यालय के पत्र पृ० क्रमांक 887–88/पंचायत/पीए दिनांक 24–01–2026 द्वारा इस कार्यालय को उक्त बारे भेजी गई रिपोर्ट की एक प्रति आपकी सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है। प्रति उपायुक्त द्वारा भेजी गई संलग्न है।

हस्ता

अधीक्षक (शिकायत)

कृतेःमहानिदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग,

हरियाणा, चण्डीगढ़।

उपायुक्त रिपोर्ट

सेवा में

सचिव,

हरियाणा विधानसभा सचिवालय,

चण्डीगढ़।

विषय– याचिका समिति की बैठक।

याचिका समिति की बैठक के सम्बन्ध में बिन्दु नं० 1 पर वर्णित श्री सतबीर सिंह, निवासी गांव पहलादगढ़ जिला भिवानी द्वारा प्रस्तुत ग्राम पंचायत की जमीन से पेड़ों की अवैध कटाई से सम्बन्धित याचिका/अभ्यावेदन के सम्बन्ध में बिन्दु निम्न प्रकार से हैः–

1. इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 2131/पंचायत/एलए दिनांक 26.03.2024 द्वारा ग्राम पंचायत, पहलादगढ़ में सिवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट के निमार्ण हेतु 329 हरे वृक्षों की कीमत निर्धारित करके नियमानुसार बोली करवाने बारे स्वीकृति दी गई थी।

2. समस्त ग्रामवासी गांव पहलादगढ़ द्वारा उक्त वृक्षों की कटाई के दौरान कुछ हरे वृक्ष चोरी से काटने बारे शिकायत दिनांक 29.07.2024 के सम्बन्ध में उप–वन संरक्षक, भिवानी की जांच रिपोर्ट क्रमांक 1081 दिनांक 30.07.2024 व खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, भिवानी की जांच रिपोर्ट क्रमांक 2620 दिनांक 27.08.2024 अनुसार 8 हरे वृक्षों की अवैध कटाई होने बारे रिपोर्ट इस कार्यालय में प्राप्त हुई थी।

3. उक्त जांच रिपोर्ट अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 6900/पंचायत/पीए दिनांक 11.09.2024 द्वारा श्रीमती ज्योति, सरपंच, ग्राम पंचायत, पहलादगढ़ के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

4. इसी मामले के सम्बन्ध में अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वानिकी), पंचकूला वन विभाग, हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक 1097 दिनांक 18.11.2024 द्वारा वन मण्डल अधिकारी, चरखी दादरी द्वारा की गई जांच रिपोर्ट कमांक 1173 दिनांक 04.11.2024 इस कार्यालय में प्राप्त हुर्द थी।

5. वन मण्डल अधिकारी, चरखी दादरी द्वारा की गई जांच रिपोर्ट क्रमांक 1173 दिनांक 04.11.2024 अनुसार 15 वृक्षों की अवैध कटाई की पुष्टी हुई थी। इसलिए उक्त दोनों जांच रिपोर्टी में विरोधाभास होने के कारण इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 9048/पंचायत दिनांक 05.12.2024 द्वारा मामले की पुनः जांच हेतु उप–मण्डल अधिकारी (ना०), भिवानी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था।

6. उप–मण्डल अधिकारी (ना०), भिवानी के पत्र क्रमांक 4563/स्टेनो दिनांक 12.06.2025 द्वारा जांथ रिपोर्ट इस कार्यालय में प्राप्त हुई थी। उप–मण्डल अधिकारी (ना०), भिवानी द्वारा वन मण्डल अधिकारी, चरखी दादरी की जांब रिपोर्ट को सही मानते हुए लिखा कि सरपंच के विरूद्ध आरोप बारे शिकायतकर्ता कोई सबूत प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके अतिरिक्त वर्तमान सरपंच ने अपने बयानों में वर्णित किया है कि उनके द्वारा छ०वि०पं० अ०, भिवानी एवं थाना प्रवन्धक, थाना सदर, भिवानी को नियमानुसार कार्यवाही करने बारे लिखा गया है। अतः वन मण्डल अधिकारी की रिपोर्ट अनुसार एवं सरपंच द्वारा लिखी गई शिकायत अनुसार सम्बन्धित ठेकेदार के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जानी उचित होगी।

7. उप–मण्डल अधिकारी (ना०), भिवानी की जांच रिपोर्ट अनुसार श्रीमती ज्योती, सरपंच ग्राम पंचायत, पहलादगढ़ को भविष्य में इस प्रकार के कार्य में अपना निजि ध्यान देकर कार्य करवाने व इस प्रकार की कोताही ना करने बारे चेतावनी देते हुए, उसके विरूद्ध जारी कारण बताओ नोटिस को दफ्तर दाखिल किया गया था तथा खण्ड विकास एवं पंचायत अविकारी, भिवानी व उप–वन संरक्षक, भिवानी को निर्देशित किया गया था कि अवैध रूप से काटे गये वृक्षों की कीमत लगाकर ठेकेदार से नियमानुसार जुर्माना सहित वसूली करना सुनिश्चित करें।

8. खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, भिवानी के पत्र क्रमांक 6472 दिनांक 30.10.2025 द्वारा सूचित किया है कि गांव पंहलादगढ़ में काटे गये अवैध वृक्षों की वन विभाग द्वारा मूल्यांकन अनुसार श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री माडू राम, गांव पहलायगढ़ से मु० 20,159/–रू0 तथा मु० 2,000/–रू० जुर्माना राशि वसूल करके अक्टूबर, 2025 में ग्राम पंचायत के खाता में जमा करवा दी गई थी।

9. खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, भिवानी की सरपंच ग्राम पंचायत पहलादगढ़ द्वारा पेड़ों की अवैध कटाई बारे प्रस्तुत सूचना प्रबन्धक, थाना सदर, भिवानी को नियमानुसार कानूनी कार्यवाही करने हेतु, भिजवाने बारे निर्देशित किया गया।

10. खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, भिवानी के पत्र क्रमांक 6502 दिनांक 31.10.2025 द्वारा दोषीगण के विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही अमल में लाने बारे प्रबन्धक, थाना सदर, भिवानी को लिखा गया था लेकिन प्रबन्धक, थाना सदर, भिवानी के द्वारा रिपोर्ट की गई की मामला थाना सदर, भिवानी से सम्बन्धित नहीं है, सम्बन्धित विभाग को भेजा जाए।

11. शिकायतकर्ताओं द्वारा उक्त मामला हरियाणा विधानसभा की याचिका समिति के सामने प्रस्तुत किया गया। याचिका समिति द्वारा अपनी विभिन्न बैठकों में हुई सुनवाई के दौरान, जहीं तक सम्भव हो सके मामले को मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाए जाने के निर्देश दिए गए।

12. इस दौरान मामले को मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाए जाने के प्रयास किए गए। इस कार्यालय द्वारा दिनांक 31.10.2025, 04.11.2025, 21.11.2025 व 22.01.2026 को दोनों पक्षों के साथ बैठकों का आयोजन किया गया, जिनमें माननीय विधायक, विधानसभा क्षेत्र, भिवानी द्वारा भी हिस्सा लिया गया।

13. याचिका समिति के निर्देशानुसार दिनांक 24.01.2026 को गांव पहलादगढ़ में श्रीधनश्याम सर्राफ, माननीय विधायक, विधानसभा क्षेत्र, भिवानी की मौजूदगी में मध्यस्थता हेतु आम पंचायत का आयोजन किया गया। पंचायत में दोनों पक्ष व ग्रामवासी शामिल हुए। गांव की पंचायत में सरपंच पक्ष की और से सरपंच पति/प्रतिनिधि श्री सन्दीप कुमार द्वारा पंचायत में ग्रामवासियों के सम्मुख व्यक्त किया गया कि यदि इस मामले में सरपंच से जाने अनजाने में कोई भूल या गलती हुई है तो उसके लिए उनको माफ किया जाए तथा भविष्य में इस प्रकार के मामलों में ध्यान रखा जाएगा। पंचायत में उपस्थित सदस्यों में से अधिकतम सदस्यों द्वारा इस

बात पर सहमति जताई गई, लेकिन शिकायतकर्ता द्वारा आम पंचायत में सरपंच प्रतिनिधि द्वारा सरेआम दो बार भूलचूक व गलती हेतु माफी मांगने उपरान्त भी सहमति पर अपने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया गया।

हस्ता

कृतेः उपायुक्त, भिवानी।

Thereafter, the Committee again orally examined the concerned departmental representatives and petitioner/ applicant in its meeting held on 03.02.2026. The departmental representatives informed the Committee that the matter is resolved. The Committee satisfied and observed that both the parties should create an atmosphere of fraternity in the Village, the petition/representation accordingly disposed off.

6. PETITION/REPRESENTATION RECEIVED FROM SHRI DEVENDRA KUMAR PARASHAR, RETD. PRINCIPAL, H.NO. 967-A, MODEL COLONY, YAMUNANAGAR. REGARDING SANCTIONED THE POST OF PRINCIPAL & REVISED PENSIONARY BENEFITS WHICH, READS AS UNDER: -

To

The Chairman,
Petition Committee,
Haryana Vidhan Sabha,
Chandigarh

Sub: The Prayer for the redressal of the grievances which remain neglected since my retirement in 2013. Kindly my case be heard by the petition committee for the long awaited justice.

R/Sir

1. I served as a lecturer from 05.07.1986 to 30.12.2007 and as a principal from 01.01.2008 to 30.04.2013 in M.L.N.S.S. School, Yamunanagar.

2 I was to get the govt grade for the post of the lecturer in 1986 as per the appointment letter but it was not so and ultimately the Hon. Supreme court granted sanction from 01.01.01993.

3. Though I had been serving as a principal from 01.01.2008, the approval of the principal's post was granted from 19.01.2012. The management of the school delayed my case without any rhyme or reason. I performed my duties on the post of the lecturer and principal to the entire satisfaction of my superiors and no adverse remarks have ever been communicated to me.

4. For the redressal of my grievances. I approached the Hon. High Court in 2014 and finally an order was passed on 12.07.2022.

5. As per order. I handed over the representation to the management citing my grievances. There after the management sent my case to the deptt., for the revision of my pension and the pensionary benefits for the post of the principal from 24.01.2012 and agreed to count my services from 1986 to 1993 only for the purpose of the pension.

6. The deptt., did not respond at all. I submitted another representation cum reminders on 26.12.2022, 02.02.2023 and 18.02.2023 in this respect. The silence and inaction of the deptt forced me to approach the Hon High court vide C.W.P No21407 of 2023. Again the Hon.

High Court directed me to submit another representation to the Director. The deptt neglected it and did not respond.

7. At last the COCP No. 166 of 2024 was filed. The department's counsel stated before the Hon. High court that the case was in progress and very soon the needful would be accomplished but nothing has transpired till date.

My grievances are as under:

A. The period from 5.07.1986 to 01.01.1993 should be counted for my pension purpose.

B. The post of the Principal should be sanctioned from 01.01.2008.

C. My pension, pensionary benefits including the gratuity should be revised as per principal's grade in the 7th pay commission.

D. All the arrears with the F.D. interest should be paid.

I here by request you that my case should be heard by the petition committee of the Vidhan. Sabha and the long awaited justice be done to me.

Thanking you Sir in anticipation.

Yours faithfully
-Sd-
Devendra Kumar Parashar,
Retd. Principal, 967-A Model Colony Yamunanagar.

The Petition/Representation was placed before the Committee in its meeting held on 07.01.2025 and the Committee desired that comments/reply of the concerned department may be obtained within a period of 10 days. The reply was received from the concerned department, which reads as under: -

To

The Secretary
Haryana Vidhan Sabha,
Chandigarh

Sub: - Regarding meeting of the Petitions Committee, Haryana Vidhan Sabha.

Kindly refer to your letter No. संख्या/ह.वि.स./ याचिका/2/2024-25/711-21 dated 14-01-2025 on the subject cited above.

It is intimated that Sh. Devendra Kumar Prashar, Retd. Principal, 967-A Model Colony, Yamuna Nagar had submitted a petition/representation dated 07-01-2025 and the contents of the same alongwith the comments of the department is as under: -

1	I served as a lecturer from 05.07.1986 to 30.12.2007 and as a Principal from 01.01.2008 30.04.2013 in M.LN.S.S. School, Yamuna Nagar.	As per record, Sh. Devendra Kumar Prashar was appointed as Lecturer in English w.e.f. 01-01-1993 on sanctioned post in M.L.N. Sr. Sec. School, Yamuna Nagar. However, he had served as Lecturer in English on unsanctioned post in the said school from 05-07-1986 to 31-12-1992 under self finance scheme of the said school.

2	I was to get the govt. grade for the post of the Lecturer in 1986 as per the appointment letter but it was not so and ultimately the Hon. Supreme court granted sanction from 01.01.1993.	Since he was working on unsanctioned post w.e.f 05-07-1986 to 31-12-1992, so he is not entitled for the regular pay scales of the post of Lecturer while working on un-sanctioned post and no salary grant-in-aid to the tune of 75% Govt. Share could not be released.
3	Though I had been serving as a principal from 01.01.2008, the approval of the principal's post was granted from 19.01.2012. The management of the school delayed my case without any thyme or reason. I performed my duties on the post of the lecturer and principal to the entire satisfaction of my superiors and no adverse remarks have ever been communicated to me.	As per provision made in rule 80 of Haryana School Education, rule 2003, the managing committee of School is the appointing authority and it was the duty of the said management to offer him order of promotion as Principal. As per the resolution passed by the managing committee of M.L.N. Sr. Sec. School, Yamuna Nagar dated 11-06-2011, Sh. Devendra Kumar Prashar was working as officiating Principal since 01-01-2008 till date. So far as his allegation regarding causing delay in his case by the management is concerned the reply of the same can be given the management itself. A FIR No. 76 dated 16-02-2012 under Section 420/467/468/471/120-B of IPC was registered against Sh. Devendra Kumar Prashar, Officiating Principal and Sh. Sushil Chandra, Manager, M.L.N. Sr. Sec. School, Yamuna Nagar.
4	For the redressal of my grievances, I approached the Hon. High Court in 2014 and finally an order was passed on 12.07.2022	He had filed CWP No. 4279 of 2014 titled as Devendra Kumar Prashar Vs. State of Haryana and others praying therein to count total length of service as qualifying Service for the pensionary benefit which was disposed of with the direction to Respondent No. 4 i.e the management of M.L.N. Sr. sec. School, Yamuna Nagar to decide his representation.The management has passed speaking orders on 22-09-2022 mentioning therein that they have no objection if the service of the applicant is counted w.e.f. 05-07-1986 to 31-12-1992 only for the purpose of the pensionary benefit and if the same is approved by the department/State. He was appointed as officiating principal w.e.f. 01-01-2008 and management had sanctioned a special allowance of Rs. 1000/- for officiating Principal.

5	As per order. I handed over the representation to the management citing my grievances, there after the management sent my case to the deptt. For the revision of my pension and the pensionary benefits for the post of the principal from 24.01.2012 and agreed to count my services from 1986 to 1993 only for the purpose of the pension.	The action of the management while passing a speaking order dated 22-09-2022 regarding counting of the period of the applicant from 05-07-1986 to 31-12-1992 only for the purpose of the pensionary benefit is contrary to the provision made in made in rule 3 (2)(ii) of Haryana Aided Schools (Special Pension Contributory Provident Fund) Rules, 2001.
6	The deptt., did not respond at all. I submitted another representation cum reminders on 26.12.2022, 02.02.2023 and 18.02.2023 in this respect. The silence and inaction of the deptt., forced me to approach the Hon. High Court vide CWP No. 21407 of 2023. Again the Hon. High Court directed me to submit another representation to the Director. The deptt neglected it and did not respond.	In CWP No. 21407 of 2023, he had prayed to grant him regular pay scale of the post of Principal from 01-01-2008 to 18-01-2012 and to count the period from 05-07-1986 to 01-01-1993 for the purpose of the pensionary benefit. The said writ petition was withdrawn by him. The Applicant is not entitled for the regular pay scale for the post of Principal from 01-01-2008 to 18-01-2012 because he was never promoted during this period rather, he was granted the charge of the post of Principal by the Management of the school and the Department is not liable to release any salary grant for this period as Principal.
7	At last, the COCP NO. 166 of 2024 was filed. The department's counsel stated before the Hon. High court that the case was in progress and very soon the needful would be accomplished but nothing has transpired till date. a. The period from 05.07.1986 to 01.01.1993 should be counted for my pension purpose. b. The post of the principal should be sanctioned from 01.01.2008. c. My pension, pensionary benefits including the gratuity should be revised as per principal's grade in the 7th pay commission. d. All the arrears with the F.D. interest should be paid.	He has filed COCP No. 166 of 2024 alleging non-compliance of the order dated 12-07-2022 passed in CWP No. 4279 of 2014 and the same was withdrawn by him. a. Since he had worked on un-sanctioned post from 05-07-1986 to 01-01-1993, so the same cannot be counted for the purpose of pensionary benefit in view of provision made in rule 3 (2)(ii) of Haryana Aided Schools (Special Pension Contributory Provident Fund) Rules, 2001. b. The post of the Principal in M.L.N. Sr. Sec. School is already sanctioned but the applicant was not promoted at that point of time by the management of Said school. So no benefit of the post of Principal prior to his actual date of actual promotion w.e.f. 19-01-2012 can be extended to him. c. The case of pension revision of the applicant w.e.f. 01-01-2016 has been

		issued. d. Applicant is not entitled for any interest as there is no delay on the part of the Department.

Sd
Chief Accounts Officer
for Director Secondary Education
Haryana, Panchkula.

The Committee orally examined the representatives of the concerned department & petitioner in its meeting held on 21.01.2025. The Committee observed that the concerned department send compliance report within six week on behalf of assurance given by the department regarding resolved the matter. The department submit compliance report which reads as under: -

सेवा में

सचिव,
हरियाणा विधान सभा सचिवालय,
सैक्टर–1, चण्डीगढ़।

विषयः— Regarding meeting of the petition committee, held on 21.01.2025. Devendra Kumar Parashar, Retd. Principal, Yamuna Nagar.

उपरोक्त विषय पर आपके पत्र क्रमांक ह.वि.स.याचिका/867 व 868/2024–25/3160 दिनांक 18.02.2025 तथा दिनांक 27.05.2025 को निश्चित याचिका समिति की बैठक के संदर्भ में। विषयांकित मामले में आपको अवगत करवाया जाता है कि श्री देवेन्द्र कुमार पराशर द्वारा दिनांक 09.08.2024 को दी गई याचिका बारे विभाग द्वारा पैटीशनर को निम्नानुसार लाभ प्रदान किए जा चुके है–

- पैटीशनर को दिनांक 01.05.2013 से 11.08.2021 तक (08 वर्ष, 03 माह, 11 दिन) की अवधि हेतु ग्रेच्युटी का ब्याज जो कि कुल 2,21.560/– रूपये बनता था। स्कूल प्रबन्धन कमेटी द्वारा दिनांक 27.01.2025 (05 दिनों के अन्दर) को उक्त राशि का भुगतान किया जा चुका है तथा प्रार्थी द्वारा दिए गए आवेदन में अंकित दिनांक 11.08.2021 से 27.01.2025 तक ग्रेच्यूटी की राशि पर ब्याज पर ब्याज प्रदान करने के संम्बन्ध में अंकित किया जतता है कि कर्मचारी को ग्रेच्युटी की राशि दिनांक 11.08.2021 को प्रदान कर दी गई थी तथा दिनांक 27.01.2025 तक ब्याज पर ब्याज प्रदान करने के सम्बन्ध में नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।
- स्कूल मैनेजमैंट द्वारा दिनांक 19.01.2012 से 30.04.2013 तक प्राध्यापक व प्रधानाचार्य के वेतन के अंतर की बकाया राशि 88,896/– रूपये का भुगतान बैंक संख्या 990793 दिनांक 11.02.2025 के तहत पैटीशनर को किया जा चुका है।
- जिला शिक्षा अधिकारी, यमुनानगर के पत्र दिनांक 22.06.2025 के तहत पैटीशनर को रिवाईज्ड पैन्शन केस विभाग के प्राप्त हुआ। विभाग के आदेश क्रमांक 6/67–2014 पैन्शन–II (1) दिनांक 23.05.2025 के तहत रिवाईज्ड पैन्शन 26,165/– रूपये प्रति माह बारे आदेश जारी किये जा चुके है।
- विभाग के आदेश कमांक 6/67–2014 पैन्शन II (1) दिनांक 23.05.2025 के तहत कुल 67.158/– रूपये की रिवाईज्ड ग्रेच्युटी पेमेंट के आदेश जारी किये गये है। स्कूल प्रबनान द्वारा दिनांक 23.05.2025 को कुल 67,158/– रूपये की रिवाईज्ड ग्रेच्युटी का भुगतान पैटीशनर को किया जा चुका है।
- पैटीशनर की रिवाईज्ड पैन्शन के एरियर की कुल राशि 5,60,630/– रूपये की राशि का भुगतान जिला शिक्षा अधिकारी, यमानानगर द्वारा कर दिया गया है। भविष्य में, पैटीशनर को बतौर प्रधानाचार्य के पद अनुसार संशोधित पेंशन प्राप्त होती रहेगी।

- पैटीशनर को बतौर प्रधानाचार्य दिनांक 01.01.2008 के स्थान पर नियमानुसार दिनांक 19.01.2012 से पदोन्नति देय बनती है तथा दिनांक 19.01.2012 से बतौर प्रधानाचार्य पैटीशनर को सभी लाभप्रदान किए जा चुके है।

अतः उक्त सूचना आपको आगामी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

हस्ता
वरिष्ठ लेखा अधिकारी पैंशन–।।
कृतेः प्रधान सचिव, स्कूल शिक्षा हरियाणा,
पंचकुला।

Thereafter, the Committee again orally examined with the concerned departmental representatives and petitioner /applicant in its meeting held on 03.02.2026. The departmental representatives informed the Committee that the all benefit given to the Petitioner. The Committee satisfied with department and petition/representation is disposed off accordingly.

7. PETITION/REPRESENTATION RECEIVED FROM SHRI SANDEEP SINGH, RETIRED ASI, 299/YNR, VILLAGE BAN, DISTRICT KURUKESHTRA. REGARDING REGARDING RE-ENROLMENT UNDER PUNJAB POLICE RULES, WHICH READS AS UNDER: -

To

Hon'ble Chairman,
Committee on Petitions
Haryana Vidhan Sabha,
Sector 1, Chandigarh-160001

SUB:- FOR RE-ENROLMENT UNDER RULE 12.25 OF PUNJAB POLICE RULES, 1934 (VOLUME II).

मान्यवर

सादर निवेदित है कि प्रार्थी दिनांक 30.10.2000 को पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद नियुक्त हुआ था व दिनांक 04.05.2012 को मुख्य सिपाही के पद पर प्रोमोट हुआ था व फिर दिनांक 09.04.2021 को स० उप नि० के पद पर प्रोमोट हुआ था व कई बार चौकी इंचार्ज भी रहा हूँ व मैंने अनुसंधान के महत्वपूर्ण लोअर व इंटर दोनों कोर्स किये हुए है व मैं मेरी रिटायरमेंट के समय मैं अर्जुन नगर चौंकी, थाना सेक्टर 17, हुड्डा, जगाधरी में इंचार्ज के पद पर कार्यरत था व मेरी विभाग में की गई सेवा को अच्छी श्रेणी में रखा गया है, जोकि विभाग के पास मौजूद रिकार्ड से स्पष्ट है व मैंने लगातार लगभग 24 वर्ष तक पुलिस विभाग में ईमानदारी, मेहनत व निष्ठा से कार्य किया है व मुझे मेरी सेवा के दौरान 70 बार उत्कृष्ट कार्यों के लिए व व्यक्तियों की जान बचाने के लिए भी प्रशंसा पत्र भी मिला हैं।

यह कि प्रार्थी के पिता जी का वर्ष 2018 में देहांत हो गया था, व प्रार्थी की माता जी को वर्ष 2013 से कैंसर से पीड़ित हैं व मेरी माता जी कैंसर के आपरेशन के बाद से बोलने में असमर्थ है व उन्हें लकवा भी मार गया था, प्रार्थी की माता जी प्रार्थी के साथ रहती हैं, जिसके कारण उत्पन्न हुई विषम परिस्थितियों के चलते मैं पारिवारिक कारणों से दिनांक 31.07.2024 को विभाग से VRS लेकर सेवामुक्त हो गया था व अब मेरे परिवार के अन्य सदस्य भी हमारे साथ रहने लगे हैं, व अब मेरे परिजन माता जी की भरपूर सेवा कर पा रहे हैं, जिससे मेरी पारिवारिक स्थितियां पूर्व की भांति सामान्य हो गई हैं।

मैं मेरे परिवार में अकेला कमाने वाला व्यक्ति हूँ व मेरी धर्मपत्नी एक घरेलू स्त्री है व मेरा बच्चा अभी छोटा है व स्कूल में नौवीं कक्षा का विद्यार्थी है व मैं पेंशन के तौर पर मिल रही लगभग आधी तनख्वाह से पहले

की तरह अपने परिवार का सही से गुजारा व अपनी कैंसरग्रस्त माता जी की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ व लोक सेवा के लिए फिर से अपनी नौकरी को ज्वाइन तुरंत करना चाहता हैं।

मेरी उम्र अभी 45 वर्ष की ही है व मेरा शरीर व स्वास्थ्य आगे सेवा करने के लिए पूर्णतया सक्षम है व मैं दिनांक 29.11.2024 को सिविल सर्जन, यमुनानगर से जारी मेरे असल मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट कार्यालय पुलिस अधीक्षक, यमुनानगर में जमा करवा चुका हूँ।

मैंने VRS आवेदन के आधार पर सेवामुक्त होने के 3 महीने बाद मेरी Re-enrolment बारे कार्यालय पुलिस अधीक्षक, यमुनानगर में प्रार्थना पत्र दिनांक 28.11.2024 को दिया था, जिसे उनके द्वारा दाखिल दफ्तर कर दिया था।

जिसके उपरांत मैंने पुनः कार्यालय पुलिस अधीक्षक, यमुनानगर में दिनांक 10.12.2024 को मेरी Re-enrolment बारे प्रार्थना पत्र दिया था। जिसे उनके कार्यालय द्वारा माननीय पुलिस महानिरीक्षक, अम्बाला को अग्रेषित कर दिया था, जिसे उनके द्वारा दाखिल दफ्तर कर दिया था।

जिसके उपरांत मैंने कार्यालय माननीय पुलिस महानिदेशक, हरियाणा को दिनांक 31.12.2024 को मेरी Re-enrolment बारे प्रार्थना पत्र दिया था, जिसे उनके द्वारा दाखिल दफ्तर कर दिया था।

यह कि मेरे उपरोक्त तीनों आवेदनों को कार्यालय माननीय पुलिस महानिदेशक, हरियाणा के Rule 149 of HCS(General) Rule, 2016, के आधार पर जारी पत्र क्रमांक 7202–36E (III)–2, दिनांक 15.06.2021 व पत्र क्रमांक 647–701/E(III)-2, दिनांक 09.01.2025 के आधार पर निरस्त कर दिया गया था, जोकि उपरोक्त Rule 149 of HCS (General) Rules, 2016 निम्न प्रकार से है.

"WITHDRAWAL OF NOTICE OF VOLUNTARY RETIREMENT

Notice of voluntary retirement shall not be withdrawn without specific approval of the appointing authority. The request in this regard made before the date of intended retirement may be considered by the competent authority irrespective of the fact that orders of voluntary retirement have been made or not."

उपरोक्त Rule 149 of HCS (General) Rules, 2016 के अवलोकन से पूर्णतया स्पष्ट है कि यह VRS लेने के लिए दिए नोटिस की अवधि में उसे वापिस लेने से सम्बंधित है व VRS लेकर पेंशन पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मामलों को डील नहीं करता है, इसलिए यह नियम मेरे मामले में लागू नहीं होता है व HCS (General) Rules, 2016 में VRS लेकर पेंशन पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मामलों के सम्बन्ध में कोई नियम नहीं दिया गया है व Rule 4 (General) Rules, 2016, में यह स्पष्ट है कि कर्मचारी ऐसी स्थिति में वह सभी अधिकार या विशेषाधिकार, जिसका वह किसी कानून द्वारा या उसके अधीन हकदार है, ले सकता है, जोकि उपरोक्त Rule 4 (General) Rules, 2016 निम्न प्रकार से है:

"RIGHT AND PRIVILEGE UNDER ANY LAW

Unless otherwise provided in these rules or in the terms and conditions offered at the time of appointment and accepted by the person, nothing in these rules shall operate to deprive any person of any right or privilege to which he is entitled by or under any law"

इसके अतिरिक्त नूह जिले के ASI Sarjit Singh, 150/PWL**,** जिसे VRS लेने के बाद सम्बंधित पुलिस अधीक्षक ने नौकरी पर वापिस रख लिया था व इसे सम्बंधित माननीय पुलिस महानिरीक्षक ने बाद में हटा दिया था, को भी एक आधार बनाया है, जबकि ना तो इस कर्मचारी Rule 12.25 of Punjab Police Rules, 1934 (Volume II) के तहत नौकरी पर वापिस लिया गया था व ना ही लिया जा सकता था, क्योंकि वह इस नियम की अनिवार्य शर्त **"**...previous service was classed as not lower than "good"**.** को पूरा नहीं करता था व उस पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगे हुए थे।

इसके अतिरिक्त इस मामले में PPR के Rule 12.25 Re-enrolment of police pensioners में दिए शब्द Discharge with Pension व मेरे VRS with Pension को भिन्न लिखते हुए अवरोध माना गया है,

जबकि VRS with Pension इसमें शामिल है, जैसा कि इसी विवाद पर Central Administrative Tribunal, Principal Bench, New Delhi के फैसले दिनांक 25.05.2017 में विस्तार से स्पष्ट किया हुआ है।

मेरी Re-enrolment का मामला हरियाणा पर लागू Punjab Police Rules, 1934 (Volume II) के नियम 12.25 में पूर्णतया कवर होता है, जो निम्न प्रकार से हैः

"12.25 Re-enrolment of police pensioners

(1) Under the orders contained in Articles 511 to 519, Civil Service Regulations, a police officer who has been discharged with a compensation or invalid gratuity or pension may be re-employed in the police service up to the age of 55 subject to the following conditions: -

(a) He may either refund the gratuity or cease to draw pension, in which case he may count his former service for future pension, or he may retain his gratuity or pension in which case he cannot count his former service towards future pension.

(b) He shall be re-examined by the Civil Surgeon of the district in which he has been re-employed and certified as medically fit for service, and shall produce a discharge certificate showing that his previous service was classed as not lower than "good".

(2) The order re-enrolling such officer shall specifically state the amount of any gratuity, bonus or pension received by him on discharge, and a copy of such order shall be communicated to the Accountant-General. Directions shall also be given, if necessary, for the proper deductions to be made from his pay."

मेरे माननीय पुलिस महानिदेशक, हरियाणा को दिए आवेदन पर पुलिस अधीक्षक, यमुनानगर द्वारा दी गई टिप्पणियाँ, जोकि निम्न प्रकार से हैं।

"Further, it is submitted that ASI Sandeep Kumar No. 299/YNR (Vol. Retd.) has unblemished service record except one minor punishment. As per feedback taken from the police officers/officials of this district, ASI Sandeep Kumar was an intelligent, enthusiastic, energetic, dedicated and very hardworking official. He was an efficient IO and also discharged duties as In-charge Police Post Rampura, PS City Yamuna Nagar and PP Arjun Nagar, PS Sector-17 HUDA Jagadhri diligently. In case of his re-enrolment in the police force, he will definitely prove to be an asset.

In view of the above, present representation submitted by ASI Sandeep Kumar No-299/YNR (Vol. Retd.) for allowing his re-enrolment may be considered sympathetically"

पूर्व में श्री छोटे लाल, जोकि हरियाणा के जिला यमुनानगर से Exemptee Sub Inspector के पद से रिटायर हुए थे, उन्हें दिनांक 31.03.1996 को Voluntarily Retirement लेने के उपरांत Punjab Police Rules, 1934 (Volume II) के Rule 12.25 (1) के तहत Re-employed कर लिया गया था।

इसी प्रकार हरियाणा के झज्जर जिले में Head Constable श्री चंद्रभान जो जिला झज्जर से दिनांक 16.05.2013 को Voluntarily Retire हो गए थे, उन्हें दिनांक 27.03.2015 को Punjab Police Rules, 1934 (Volume II) के Rule 12.24 o 12.25 के तहत Re-enrol कर लिया गया था।

इसी प्रकार पंजाब में, जहाँ Punjab Police Rules, 1934 ही लागू है, के Head Constable श्री हरजीत सिंह जो को Voluntarily Retirement ले चुके थे, उन्हें दिनांक 26.10.2017 dks Punjab Police Rules, 1934 (Volume II) के Rule 12.25 के तहत Re-enrol कर लिया गया था।

इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में, जहाँ Punjab Police Rules, 1934 ही लागू है, के Head Constable श्री बंसी राम, जी Voluntarily Retirement ले चुके थे, उन्हें दिनांक 15.03.2012 को Punjab Police Rules, 1934 (Volume II) के Rule 12.24 व 12.25 के तहत Re-enrol कर लिया गया था।

Punjab Police Rules, 1934 हरियाणा, पंजाब व हिमाचल प्रदेश इन तीनों राज्यों में लागू है इसी तरह के मामलों मैं Voluntarily Retirement लेने के उपरांत Re-enrolment के लिए दिए पुलिसकर्मी के

आवेदनों को माननीय उच्च न्यायालय ने Punjab Police Rules, 1934 के Rule 12.24 व 12.25 में कवर पाया है, जिस सम्बन्ध में पिछले तीन वर्षों में ही तीन फैसले हो चुके हैं।

माननीय हिमाचल हाईकोर्ट ने Voluntarily Retirement ले चुके ASI का मामला Punjab Police Rules, 1934 ds Rule 12.25 esa Re-enrolment के अंतर्गत आता पाकर सरकार को उनके मामले में इसी नियम में फैसला लेने के आदेश दिनांक 06.07.2023 को पारित किये हैं, व माननीय हाईकोर्ट ने स्पष्ट लिखा है कि

"that case of petitioner was covered and to be considered under the provisions of Rule 12.25 of Punjab Police Rules."

इसी प्रकार माननीय पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने Voluntarily Retirement ले चुके हेडकांस्टेबल के मामले को Punjab Police Rules, 1934 के Rule 12.24 में Re-enrolment के अंतर्गत आता पाकर उनके द्वारा इस बारे सक्षम अधिकारी को आवेदन देने पर सरकार को उनके मामले में इसी नियम में फैसला लेने के आदेश दिनांक 09.09.2022 को पारित किये हैं।

इसी प्रकार माननीय पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने Voluntarily Retirement ले चुके Punjab Police Rules, 1934 के Rule 12.24/12.25 में Re-enrolment के अंतर्गत आता पाकर उनके मामले में सरकार को फैसला लेने के आदेश दिनांक 05.12.2022 को पारित किये हैं।

हरियाणा, पंजाब व हिमाचल प्रदेश की भांति दिल्ली में Pensioners की Enrolment के लिए बना नियम भी लगभग PPR के नियम 12.25 Re-enrolment of police pensioners जैसा ही है व दिल्ली में लागू Delhi Police (Appointment & Recruitment) Rules, 1980 का सम्बंधित नियम 29 निम्न प्रकार से है:

"29. Enrolment of Police pensioners.- (1) Police officers of subordinate ranks discharged on a compensation or invalid gratuity, or pension may be re-employment in the same rank which they had held before retirement in the Police service, upto the age of 50 years subject to the condition, that the retired subordinate officer who has obtained a gratuity/pension, if re-employment in qualifying service, may either retain his gratuity pension in which case his previous service shall not count for future pension, or refund it and count his previous service towards future pension, The option shall be exercised within a period of three months from the date of re-employment. Such re-employment shall be made only after fresh medical examination by the police pensioner showing that his previous service was classified as not lower than very good. The order re-employing such officer shall specifically state the amount of any gratuity or pension received by him on discharge and a copy of such order shall be sent to the Pay and Accounts Officer concerned-"

दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों के मामलों में निर्णय देने के लिए बने माननीय Central Administrative Tribunal, Principal Bench, New Delhi ने इसी प्रकार के Voluntarily Retirement ले चुके हेड कांस्टेबल के मामले में उन्हें उपरोक्त नियम के अंतर्गत आता पाकर सरकार को उनके मामले में इसी नियम में फैसला लेने के आदेश दिए हुए थे व इसमें पैरा 6 व 7 में माननीय CAT, PB, New Delhi ने निम्न लिखा है:

6. We also do not agree with the contention of respondents' counsel that Rule-29 ibid would only cover the cases of police officers who have discharged on compensation or invalid gratuity or invalid pension. The pension figuring in the rules is to be read independently & disjunctively without being linked with invalid gratuity and compassion. Police officer discharged on a pension before attaining the age of 50 years would also include in itself the cases of police officer who had sought voluntary retirement under the provisions of Rule 48-A of CCS (Pension) Rules 1972.

7. In view of the above observation, we are of the considered opinion that the applicant is legally entitled to be considered for re-employment as a police pensioner under Rule-29 ibid and the respondents have wrongly rejected his claim without application of mind to the provision ibid. In the result, the OA is allowed. The impugned order dated 28-3-2000 is quashed and set aside. The respondents are directed to consider the applicant for re-employment as Police pensioner keeping in view the observations made above---"

इसी प्रकार माननीय Central Administrative Tribunal, Principal Bench, New Delhi ने Voluntarily Retirement ले चुके दो कांस्टेबलों के मामलों में एक ही निर्णय देते हुए उन्हें उपरोक्त नियम के अंतर्गत आता पाकर सरकार को उनके मामले में इसी नियम में फैसला लेने के आदेश दिए हुए थे व इसमें दिए वर्णन से यह भी स्पष्ट है की दिल्ली में श्री विनोद कुमार, इंस्पेक्टर को भी इसी नियम में Re-employ कर लिया गया था, व इसमें दिया मुख्य ब्यौरा निम्न हैः

"2.1… The applicant has also produced a copy of the order passed by Commissioner of Police in the case of Inspector Vinod Kumar, who was re-employed vide order dated 09-07-2004.

4.1 Learned counsel for the applicant argued that the stand taken by the respondents was unjustified as this would lead to a situation whereby those discharged on being declared invalid could be reemployed whereas those who had availed of voluntary retirement could not be so reemployed. Sh. Luthra further argued that the Rule-29 provides that even those who have been discharged on pension can be reemployed. He submitted that pension is admissible only in the following cases: -

(i) To those who have taken voluntary retirement.
(ii) To those who have been compulsorily retired under FR-56(J).
(iii) To those who have availed of invalid pension.
(iv) To those who have attained the age of superannuation.

He argued that a reading of Rule-29 would make it evident that reemployment is permissible only upto the age of 50 years and is granted subject to medical fitness. Thus, those who have attained the age of superannuation as also those who have become invalid cannot avail of the benefit of this rule. The remaining two types of cases in which pension is granted are those where an employee has been compulsorily retired (as penalty) or those cases where an employee has been granted voluntary retirement. An incongruous situation would arise if those who have been compulsorily retired under FR-56(J) are permitted reemployment whereas those who had taken retirement on their own are excluded. This obviously is not an acceptable situation. Hence, it would follow that as per provisions of Rule-29.those who had availed of pension after taking voluntary retirement, were eligible for reemployment subject to fulfilment of other conditions of age and medical fitness.

4.2 After considering the submissions of Sh. Luthra we find the same to be convincing and are in agreement with him. We also find that this case is squarely covered by judgment of a Co-ordinate Bench of this Tribunal in OA-934/2000 (supra) relied upon by the applicant.

5. We, therefore, allow this O.A, and quash the impugned order dated 13.02.2014 as well as order dated 22.04.2014- We further direct the respondents to reconsider the case of the applicant in the light of observations made above under Rule -29 of Delhi Police (Appointment and Recruitment) Rules, 1980."

इसी प्रकार माननीय Central Administrative Tribunal, Principal Bench, New Delhi ने Voluntarily Retirement से चुके इंस्पेक्टर के मामले में उन्हें उपरोक्त नियम के अंतर्गत आता पाकर सरकार

को उनके मामले में इसी नियम में फैसला लेने के आदेश दिए हुए थे, व इसमें पैरा 12 व 15 में माननीय CAT,PB, New Delhi ने निम्न लिखा है:

"12. A bare perusal of Rule-29 clearly indicates that the same is not barring of consideration of the case of a police officer who took voluntary retirement and receiving pension for re-employment.

15. Accordingly, the OA is allowed and the orders dated 23.06.2015 and 24.11.2015 are quashed. The respondents are directed to re-consider the case of the applicant under Rule-29 of Delhi Police (Appointment & Recruitment) Rules, 1980.

इसी प्रकार माननीय Central Administrative Tribunal, Principal Bench, New Delhi ने Voluntarily Retirement ले चुके कांस्टेबल के मामले में पहले बने नियम के आधार पर कर्मचारी को उपरोक्त नियम की शर्तें पूरी करने पर नियुक्ति के आदेश पारित किए हैं व इसमें अंतिम पैरा में माननीय CAT,PB, New Delhi ने निम्न लिखा है:

"The respondents shall consider the case of the applicant for re-employment in terms of Rule 29 of Delhi Police (Appointment and Recruitment) Rules, 1980 within a period of two months from the date of receipt of a certified copy of this order. Needless to say that, if the applicant is otherwise eligible he shall be offered re employment with all consequential benefits including salary on notional basis."

मैंने इस बारे दिनांक 30.05.2025 को अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह), हरियाणा को भी अपना आवेदन दिया था, पर उन्होंने भी उसे अब तक मंजूर नहीं फरमाया है।

मैं Punjab Police Rules, 1934 (Volume II), as applicable in Haryana State के सम्बंधित नियम की मुझपर तागू, सभी आवश्यकताओं को भली भांति पूर्ण करता हूँ व मुझे मिले सभी रिटायरमेंट लाभ यानि मासिक पेंशन, लीव एन्काशमेंट/लीव सैलरी, ग्रेच्युटी, GPF आदि को तुरंत लौटते हुए सरकारी खजाने में जमा करवाने को तैयार हूँ व मेरे आवेदन पर निर्णय के सम्बन्ध में निजी सुनवाई का मौका चाहता हूँ।

उपरोक्त के मद्देनजर मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मेरी पारिवारिक स्थिति को देखते हुए मेरी ASI पद पर Re-Enrolment करने की कृपा करें, जिसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा।

प्रार्थी

हस्ता

(सन्दीप कुमार)

रिटायर्ड स० उप नि० 299/YNR

पुत्र स्व. श्री जगीर सिंह, वासी 462,

गाँव बन्न, जिला कुरुक्षेत्र–136132.

The Petition/Representation was placed before the Committee in its meeting held on 03.06.2025 and the Committee desired that comments/reply of the concerned department may be obtained within a period of 10 days. The reply was received from the concerned department, which reads as under: -

To

The Secretary,
Haryana Vidhan Sabha Secretariat,
Chandigarh.

Sub: Reg. re-enrolment under rule 12.25 of PunjabPolice Rules, 1934 (Volume-II). Memo.

Please refer to your office memo No. HSVS/petition/883/2025-26-10043 dated 04.06.2025, on the subject noted above.

In this regard it is submitted that representation dated 31.12.2024 of Retd. Assistant Sub Inspector, Sandeep Kumar No. 299/YNR (Request for allowing re-enrollment under rule 12.25 of Punjab Police Rules, 1934) was received in this office vide Superintendent of Police, Yamunanagar office memo No. 415 dated 02.01.2025.

On perusal of comments received from Superintendent of Police, Yamunanagar and Inspector General of Police, Ambala Range, Ambala, it was found that the case of the applicant is not covered under Rule 12.25 of PPR and is also against Rule 149 of Haryana Civil Service Rules and instructions issued by PHQ from time to time. Legal opinion on the matter was also obtained by the office of the Inspector General of Police, Ambala Range, Ambala and it was found that he is not eligible to be re-enrolled.

In view of above, the application dated 31.12.2024 submitted by Retd. Assistant Sub Inspector, Sandeep Kumar No. 299/YNR has been considered and filed.

After that, the same representation submitted by Retd. Assistant Sub Inspector, Sandeep Kumar No. 299/YNR (Request for allowing re-enrollment under rule 12.25 of Punjab Police Rules, 1934) was again received in this office, which was considered and filed in view of opinion received from AD/legal, PHQ.

It is also pertinent to mention here that a similar issue is sub-judice in the Hon'ble High Court, in which the Hon'ble High Court took an adverse view regarding a police official who was taken back in service after his voluntary retirement. The above case is fixed for hearing on 25.07.2025 in the Hon'ble High Court. In view of above facts and circumstances, representation of Retd. ASI Sandeep Kumar No. 299/YNR may kindly be filed.

-Sd-
(Subhash Sharma)
Dy.Superintendent, For Director
General of Police, Haryana.

Thereafter, the Committee orally examined with the concerned departmental representatives and petitioner/ applicant in its meeting held on 15.07.2025. The Committee observed that the Petitioner submit a fresh application to the department within a week and the department consider the application. The compliance report submit to the Committee. The reply received from the department which reads as under: -

To

The Chairman,
Petition Committee,
Haryana Vidhan Sabha

Sub:- Petition for re-enrolment under Rule 12.25 of PPR, 1934 (Volume-II) in compliance of the order dated 15.07.2025 passed by the Hon'ble Chairman and Members of the Committeee on petitions, Haryana Vidhan Sabha, Sector-1, Chandigarh.

Kindly refer your letter No. 16065/E(III)- 2 dated 02.09.2025 on the subject noted above.

2. The case has been considered by the Government and it has been observed as under:-

(1). Rule-149 of HCS (General) Rules, 2016 is not applicable in the present case as the applicant is not seking withdrawal of his notice of voluntary retirement as he has already been

voluntarily retired w.e.f 31.07.2024. Rather, the claim of petitioner is for re-enrollment under rule 12.25 PPR being a pensioner.

(ii). The direction/clarification dated 15.06.2021 and 09.01.2025 issued by your office also relates to withdrawal of notice of voluntary retirement under rule 149 of HCS (General) Rules, 2016, hence, the same are not applicable in the present case.

(iii). The pending Court case referred to by your office relates to ASI Sarjeet Singh and in that case neither he applied for re-enrolment under rule 12.25 PPR nor he was enrolled under the said rule in fact, in his case, his voluntary retirement order was cancelled and he was taken into the service by SP/Nuh. He was also involved in a criminal case and a departmental inquiry was also pending against him. In these circumstances, the IGP, South Range, Rewari, directed the SP. Nuh to re-consider his case accordingly.

(iv). The Superintendent of Police, Yamunanagar had also intimated that ASI Sandeep Kumar was an intelligent, enthusiastic, energetic, dedicated and very hard-working official. He was an efficient IO. In case of his re-enrollment, he will definitely prove to be an asset.

(V). The legal position on the issue is well settled by various judgments passed by the Hon'ble Himachal Pradesh, High Court, Hon'ble Punjab and Haryana, High Court and Central Administrative Tribunal. New Delhi, wherein it has been settled that an employee after taking voluntary retirement can apply for re-enrollment under rule 12.25 PPR [(Similar rule 29 of Delhi Police (Appointment and Recruitment) Rules).

In view of the above, ASI Sandeep Kumar, No. 299/YNR(Retd.) is fully eligible/entitled for re-enrolment under Rule 12.25 of Punjab Police Rules, 1934 and therefore you are directed to issue immediate instructions to the competent authority to offer him re-enrolment to ASI Sandeep Kumar, No. 299/YNR(Retd.), without any further delay subject to the condition mentioned in the said rule.

This issues with the approval of the Hon'ble Chief Minister, Haryana.

-Sd-

Superintendent-cum-Section Officer
Home for Additional Chief Secretary
to Govt., Haryana Home Department.

Thereafter, the Committee again orally examined with the concerned departmental representatives and petitioner /applicant in its meeting held on 06.01.2026. The department submitted the replies to the Committee, which reads as under: -

To

The Chairman,

Committee on Petitions,

Haryana Vidhan Sabha.

Sub:- Petition for re-enrolment under Rule 12.25 of the Punjab Police Rules,1934 (Volume-II) in compliance of the order dated 15.07.2025 passed by the Hon'ble Chairman and Members of the Committee on Petitions, Haryana Vidhan Sabha, Sector-1, Chandigarh.

Kindly refer to your letter No. 21747/E(III)-6 dated 26.12.2025 on the subject noted above vide which relaxation in rule 12.25 of PPR, 1934 has been sought on the following grounds:

- That the petitioner is not entitled to re-enrolment under Rule 12.25 of the PPR, 1934 (Volume-II) as the said rule is applicable only to discharged officials and not to police officials who retired on voluntary basis.

- It would be violative of judgment of the Hon'ble Punjab and Haryana High Court in CWP No. 1234 of 2025-ASI Sarjit Singh, decided on 26.09.2025.

2. On reconsideration of the matter, the Government has observed the above-mentioned grounds are not correct. The legal position has been settled by multiple judgments of the Hon'ble Punjab and Haryana High Court, including CWP No. 23102 of 2013 decided on 09.09.2023 and CWP No. 14389 of 2014 decided on 05.12.2022 as well as judgments of the Hon'ble Himachal Pradesh High Court and the Central Administrative Tribunal. It has consistently been held that a police official who has taken voluntary retirement is entitled to apply for re-enrolment under Rule 12.25 of the PPR.

3. So far as the judgment of the Hon'ble Punjab and Haryana High Court in CWP No. 1234 of 2025 in case of ASI Sarjit Singh decided on 26.09.2025 is concerned, the same is neither applicable nor relevant to the present case. In case of ASI Sarjit Singh (No. 150/PWL), the official had not applied for re-enrolment under Rule 12.25 of the PPR. His voluntary retirement was cancelled, and he was taken back into service by the Superintendent of Police, Nuh, without any statutory authority or enabling rule. Further, he was involved in a criminal case and a departmental inquiry was pending against him. In view of his conduct, the IGP, South Range, Rewari, held him to be a corrupt officer and directed his removal from service. The facts of that case are, therefore, entirely distinguishable and have no application whatsoever to the present petitioner.

4. In the given circumstances the Government decision vide Memo No. 08/70/2025-6HGI dated 06.11.2025 is not in violation of any judicial pronouncement and case of ASI Sandeep Kumar, No. 299/YNR (Retd.) is squarely falls under Rule 12.25 of the Punjab Police Rules, 1934 (Volume-II) as per legal position explained above. Hence, no relaxation in any rule is required.

5. You are, therefore advised and again directed to implement the Government decision conveyed vide Memo No. 08/70/2025-6HGI dated 06.11.2025 and to issue instructions to the concerned competent authority to offer re-enrolment to ASI Sandeep Kumar, No. 299/YNR (Retd.) under rule 12.25 PPR, 1934 and to send Action Taken Report, so that the same may be placed before the Committee on Petitions, Haryana Vidhan Sabha. The matter has already been unduly delayed at your level, despite clear directions.

sd

Superintendent-cum-Section Officer
(Home) for Additional Chief Secretary to Government, Haryana Home Department.

The Committee also received the reply from Director General Police, which reads as under:- .

सेवा में,

सचिव,
हरियाणा विधान सभा, हरियाणा,
चण्डीगढ़।

विषयः– याचिका समिति की बैठक।

कृपया आपके कार्यालय के पत्र संख्या/ह.वि.स./याचिका/2/2025–28 /29720–30 दिनांक 30.12. 2025. के संदर्भ में।

2. याचिका समिति की बैठक के मौखिक परीक्षण न. 4 से सम्बन्धित सूचना इस प्रकार से हैः–

बिन्दु

श्री संदीप सिंह सेवानिवृत स.उ.नि. 299/ यमुनानगर, पुत्र स्वर्गीय श्री जगीर सिंह मकान न. 462 गांव बन, जिला कुरुक्षेत्र द्वारा प्रस्तुत पंजाब पुलिस नियम. 1934 याचिका/अभ्यावेदन खंड–2 के नियम 12.25 के अंतर्गत पुनः नामांकन करने से संबंधित याचिका/अभ्यावेदन के बारे में।

पुलिस विभाग का जवाब

इस सम्बन्ध में यह सूचित किया जाता है कि श्री संदीप सिंह सेवानिवृत स.उ.नि. 299/यमुनानगर, पुत्र स्वर्गीय श्री जगीर सिंह मकान न. 462 गांव बन, जिला कुरुक्षेत्र वर्ष 2000 में पुलिस विभाग में सिपाही के पद पर भर्ती हुआ था, जो इस कर्मचारी ने पुलिस अधीक्षक, यमुनानगर के कार्यालय में दिनाक 30.04.2024 को एक प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पुलिस अधीक्षक, यमुनानगर के कार्यालय में स्वैच्छिक सेवानिवृति लेने हेतू दिया था, जिस पर कार्यवाही करते हुये तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, गंगा राम पूनिया, भा०पु०से० ने इस कर्मचारी की व्यक्तिगत सुनवाई के बाद इस कर्मचारी के प्रार्थना पत्र को स्वीकृत कर दिया था व पुलिस अधीक्षक, यमुनानगर के कार्यालय के आदेश कमांक 33928–34 दिनांक 18.06.2024 द्वारा इस कर्मचारी की स्वैच्छिक सेवानिवृति दिनाक 31.07.2024 के आदेश जारी कर दिये थे और पुलिस अधीक्षक, यमुनानगर के कार्यालय द्वारा इस कर्मचारी के सभी पेंशनरी लाभ भी जारी कर दिये गये थे। इसके बाद इस कर्मचारी ने पुलिस अधीक्षक, यमुना नगर के कार्यालय के डायरी क्रमांक 21466 आर.दिनांक 28.01.2024 के re-enrolment के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। पुलिस महानिदेशक, हरियाणा के कार्यालय द्वारा जारी दिशा–निर्देश 7202–36 (iii)–2 दिनाक 15.06. 2021 में स्पष्ट किया गया है किः–

"It is directed that decision with regard to requests for with withdrawal of notice of voluntary retirement should be taken in accordance with Rule 149 of HCS (General) Rules, 2016, as per which "notice of voluntary retirement shall not be withdrawn without specific approval of the appointing authority. The request in this regard made before the date of intended retirement may be considered by the competent authority irrespective of the fact that orders of voluntary retirement have been made or not." In view of this provision, it is clear that requests for withdrawal of VRS notice can not be entertained after the date of intended retirement.

It is further clarified that such request are not covered by Rule 12.25 of PPR which only applies to re-employment of police officers who have been discharged with compensation or invalid gratuity or pension. It does not apply to those who have proceeded on voluntary retirement.

उपरोक्त निर्देशों के अनुसार पुलिस अधीक्षक, यमुनानगर के कार्यालय के कमांक 67593 दिनांक 3.12.2024 के अनुसार इस कर्मचारी के आवेदन को फाईल कर दिया गया था। इसके बाद इस कर्मचारी ने दिनांक 10.12.2024 को री–इनरोलमेंट बारे दोबारा से प्रार्थना पत्र दिया जो पुलिस अधीक्षक, यमुनानगर के कार्यालय के पत्र कमांक 69456 दिनांक 12.12.2024 के अनुसार पुलिस महानिरीक्षक, अम्बाला मण्डल, अम्बाला छावनी को भेजा गया था जिसको पुलिस महानिरीक्षक, अम्बाला मण्डल, अम्बाला छावनी द्वारा उनके कार्यालय के पत्र कमांक 25313/ए–1 दिनाक 26.12.2024 के अनुसार फाईल करके पुलिस अधीक्षक, यमुनानगर के कार्यालय में भेजा गया था। जिस बारे इस कर्मचारी को सूचित कर दिया गया था। इसके बाद इस कर्मचारी ने दोबारा से प्रार्थना पत्र पुलिस महानिदेशक, हरियाणा के कार्यालय के नाम से दिनाक 31.12.2024 को पुलिस अधीक्षक, यमुनानगर के कार्यालय में दिया था जो पुलिस अधीक्षक, यमुनानगर के कार्यालय के पत्र क्रमांक 415 दिनाक 02.01.2025 के अनुसार पुलिस महानिदेशक, हरियाणा के कार्यालय को भेजा गया था जिसको पुलिस महानिदेशक, हरियाणा के कार्यालय द्वारा दिनांक 17.03.2025 को फाईल कर दिया गया था।

सेवानिवृत्त सहायक उप निरीक्षक, संदीप कुमार 299/यमुनानगर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 17.07.2025, जो कि हरियाणा सरकार, गृह विभाग के माध्यम से पत्र संख्या 8/70/2025–6एच. जी.आई. दिनांक 25.08.2025 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ जिसके संदर्भ में यह प्रस्तुत किया जाता है कि इससे पहले सेवानिवृत्त सहायक उप निरीक्षक, संदीप कुमार 299/यमुनानगर द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद सेवा में पुनः नामांकन के लिए उनके द्वारा दो प्रतिवेदन 31.12.2024 और 03.06.2025 को प्रस्तुत किए गए थे। इस मामले की सावधानीपूर्वक जाँच के बाद, उपरोक्त प्रतिवेदन इस कार्यालय द्वारा दाखिल/अस्वीकृत कर दिए गए। इसके अतिरिक्त, इस मामले में अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग के कार्यालय को इस कार्यालय के ज्ञापन संख्या 13616/ई (111)–2 दिनांक 15.07.2025 के माध्यम से टिप्पणियां भी भेजी गई थी।

आवेदक द्वारा दिए गए सिपाही छोटे लाल नंबर 1001/कुरुक्षेत्र, मुख्य सिपाही चंद्रभान 233/झज्जर और ई. सहायक उप निरीक्षक सुरेंद्र के पुनः नामांकन मामलों के उदाहरण के संबंध में, यह देखा गया है कि उनके पुनः नामांकन मामले पंजाब पुलिस नियमों के नियम 12.25 के तहत कवर नहीं किए गए हैं और उनकी पुनः समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है। यह भी देखा गया है कि हरियाणा सिविल सेवाएं (सामान्य) नियम–2016 के नियम 149 के अनुसार स्वैच्छिक सेवा की सूचना वापस लेना केवल इच्छित सेवानिवृत्ति की तिथि से पहले ही स्वीकार्य है और जो सरकारी कर्मचारी पहले ही सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हो चुका है. उसे सेवा में वापस नहीं लिया जा सकता है।

तदनुसार, इस कार्यालय के ज्ञापन संख्या 7202–36/ई(111)–2 दिनांक 15.06.2021 के अनुसार सभी क्षेत्रीय इकाइयों को निर्देश/स्पष्टीकरण जारी किया गया है कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के नोटिस को वापस लेने के अनुरोधों पर हरियाणा सिविल सेवाएं (सामान्य) नियम, 2016 के नियम 149 के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए, जिसके अनुसार "नियुक्ति प्राधिकारी के विशिष्ट अनुमोदन के बिना स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का नोटिस वापस नहीं लिया जाएगा।" इस संबंध में इच्छित सेवानिवृत्ति की तिथि से पहले किए गए अनुरोध पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया जा सकता है, भले ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का आदेश दिया गया हो या नहीं।

इस प्रावधान के मद्देनजर, यह स्पष्ट है कि सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्तिं नोटिस वापस लेने के अनुरोध पर इच्छित सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद विचार नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त निर्देशों/स्पष्टीकरण में यह भी स्पष्ट किया गया है कि ऐसे अनुरोध पंजाब पुलिस नियमों के नियम 12.25 के अंतर्गत नहीं आते हैं, जो केवल उन पुलिस अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति पर लागू होता है, जिन्हें मुआवजा या अमान्य ग्रेच्युटी या पेंशन के साथ सेवामुक्त कर दिया गया है। यह उन लोगों पर लागू नहीं होता जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर चले गए हैं।

इसके अलावा, ऊपर उल्लिखित इस कार्यालय के ज्ञापन दिनांक 15.06.2021 के अनुसार, सभी क्षेत्रीय इकाइयों से अनुरोध किया गया है कि वे उपरोक्त प्रावधानों के उल्लंघन में किसी भी नये निर्णय की समीक्षा करें।

इस संबंध में यह प्रस्तुत किया जाता है कि राज्य सरकार ने अपने पत्र संख्या 08/70/2025–6HGI दिनांक 06.11.2025 के माध्यम से इस कार्यालय को निर्देश दिया कि स०उ०नि० संदीप को पंजाब पुलिस नियम 1934 के नियम 12.25 के तहत पुनः नामांकन के लिए पूरी तरह से पात्र माना जाता है और संबंधित समक्ष अधिकारी को निर्देश दिया जाए कि वे स०उ०नि० संदीप (सेवानिवृत्त) को नियम में उल्लिखित शर्तों के अधीन बिना किसी देरी के पुनः नामांकित करें।

इसी अनुसार पुनः नामांकन के प्रकरण की समीक्षा की गई और यह पाया गया कि पुनः नामांकन के लिए नियम के तहत कोई प्रावधान नहीं है। हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा CWP No. 1243/2021 में स०उ०नि० सुरजीत सिंह बनाम राज्य हरियाणा एवं अन्य के मामले में दिया गया निर्णय निम्नलिखित है:–

12 In the instant case, the petitioner filed application" seeking withdrawal of his notice for voluntary retirement after the expiry of intended period. The notice was served on 08-09-2017. As per applicable three months. The petitioner in his notice disclosed three months period as intended date of retirement. The said period expired on 07.12.2017. His notice was accepted on 27.09.2017. On account of Rule 149 of Service Rules despite acceptance of his notice for voluntary retirement, he could withdraw his notice till 07.12.2017 i.e. intended date of retirement. As soon as 07.12.2017 passed away, he lost right to withdraw his notice of voluntary retirement and authorities lost power to accept his letter seeking withdrawal of notice. IGP has rightly recalled order dated 26.03.2018 passed by SP, Nuh on the ground of jurisdiction. There is correct appreciation of Rule 149 of Service Rules."

यदि राज्य सरकार के पत्र संख्या 08/70/2025–6 HGI दिनांक 06.11.2025 को लागू किया जाता है, तो यह माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लंघन होगा। इसके अतिरिक्त, पंजाब पुलिस नियम 12.25 के तहत सेवा से स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त होने के बाद किसी पुलिस अधिकारी को पुनः सेवा में लेने का प्रावधान नहीं है।

अतः इस कार्यालय ने क्रमांक न. 21747/ई (iii)–6 दिनांक 26.12.2025 के अनुसार राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि पंजाब पुलिस नियम 1934 के लागू नियम 12.25 में केवल एक बार की छूट प्रदान की जाए, ताकि सेवानिवृत्त स०उ०नि० संदीप का पुनः नामांकन संभव हो सके और यह भविष्य में अन्य सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों के मामलों में एक मिसाल के रूप में न लिया जाए। इसके अतिरिक्त, विकल्प के रूप में, राज्य सरकार उपरोक्त अधिकारी को राज्य सरकार के निर्देश संख्या 34/26/2025–5 HR-I दिनांक 18.08.2025 के अनुसार पुनः रोजगार देने का निर्णय ले सकती है।

इस सम्बन्ध में अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, हरियाणा के कार्यालय के पत्र क्रमांक 08/70/2025–6 एच.जी.। दिनांक 05.01.2026 के अनुसार निर्देश दिया है कि राज्य सरकार के पत्र क्रमांक 08/70/2025–6एच.जी.। दिनांक 06.11.2025 द्वारा दिए गए निर्देश के अनुरूप सरकारी फैसले को लागू करें और श्री संदीप सिंह सेवानिवृत स. उ.नि. 299/यमुनानगर का पंजाब पुलिस नियम, 1934 के नियम 12.25 के तहत दोबारा नामांकन किया जाए। अतः विभाग द्वारा उपरोक्त आदेशानुसार आगामी कार्यवाही रिपोर्ट जल्द की कमेटी के सम्मुख प्रस्तुत की जाएगी।

हस्ता

(मुकेश कुमार)
उप अधीक्षक (का०)

कृतेः पुलिस महानिदेशक, हरियाणा।

After detailed discussion with departmental representatives in its meeting held on 06.01.2026, the Committee observed that the concerned department resolve the matter within a week. The department resolved the grievance of the petitioner on dated 22.01.2026 and the Committee satisfied with the department, the petition/representation is disposed off accordingly in its meeting held on 10.02.2026.

12455–H.V.S.–H.G.P.,Pkl.